[2023] 6 एस. सी. आर 731

ओरीसा प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार संगठन

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2022 की सिविल अपील संख्या 6805)

21 मार्च, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और

हिमा कोहली, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 226 - ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण-ओ. ए. टी.-अधिसूचना सं. जीएसआर 552 (ई) दिनांक 2 अगस्त 2019-अधिसूचना की संवैधानिक वैधता-आयोजितः ओ. ए. टी. का उन्मूलन संवैधानिक रूप से वैध है-विवादित लोगों की संवैधानिक वैधता को चुनौती 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना जिसके द्वारा ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था

अस्वीकार कर दिया जाता है-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985। 4 (2) - सामान्य खंड अधिनियम, 1897। 21 .

अनुच्छेद 226-ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण-ओ. ए. टी.-के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का उन्मूलन

ओ. ए. टी. के उन्मूलन द्वारा संवैधानिक अधिकार-की रखरखाव-आयोजितः उच्च न्यायालय के यू/आर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के हकदार याचिकाकर्ताओं को लिखें। 226 .

कलाएँ। 323 ए और 323 बी प्रशासनिक न्यायाधिकरण

संघ द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों-एसएटी की स्थापना

सरकार, यदि अनिवार्य यू/आर्ट। 323 - ए-आयोजितः कला में शब्द 'मई'। 323 - ए को 'विल' शब्द के चरित्र के साथ प्रदान नहीं किया जाता है-कला। 323 - ए केंद्र सरकार को एस. ए. टी. एस.-कला को समाप्त करने से नहीं रोकता है। 323 - ए एक निर्देशिका है, जो प्रावधान को सक्षम करती है जो केंद्र सरकार को एक निर्देश स्थापित करने का विवेक प्रदान करती है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण-कला। 323 - ए केंद्र सरकार के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के बाद इसे समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985।

कला. 14 - अधिसूचना दिनांक 2.8. 2019 जिसके द्वारा ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण-ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था-यदि मनमाना और इस प्रकार, कला का उल्लंघन है। 14 – आयोजित किया

गयाः 2.08.2019 दिनांकित अधिसूचना जिसके द्वारा OAT को समाप्त कर दिया गया था, कला का उल्लंघन नहीं है। 14 – राज्य सरकार ने पहुंचने पर किसी भी अप्रासंगिक या बाहरी कारकों पर विचार नहीं किया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार से ओ. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध करने के निर्णय पर-ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय अपने आप में बेतुका या इतना अनुचित नहीं है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इसे नहीं लिया होगा-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985।

कला. 14 – ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण ओ. ए. टी. का उन्मूलन, यदि न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है

आयोजित किया गयाः ओ. ए. टी. का उन्मूलन न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है-उड़ीसा उच्च न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करेगा जो ओ. ए. टी. के उन्मूलन से पहले उसके समक्ष लंबित थे।

न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985।

कला. 14 – ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उन्मूलन-ओ. ए. टी.-याचिका कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन और ओ. ए. टी. के समक्ष वादियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहने से प्राकृतिक न्याय-आयोजितः ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय से प्रभावित लोगों के वर्ग को सुनवाई का अधिकार नहीं था-बड़े पैमाने पर जनता (या इसके कुछ वर्गों) को नीतिगत निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अधिकार नहीं था-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985।

कला. 77 - ओ. ए. टी. को समाप्त करने की अधिसूचना दिनांक 2.08.2019-भारत के राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त नहीं-की वैधता-आयोजितः दिनांकित 2.08.2019 अधिसूचना वैध है, हालांकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त नहीं की गई है-Art.77 का गैर-अनुपालन किसी अधिसूचना को अमान्य नहीं करता है या इसे असंवैधानिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 नहीं बनाता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। 1985 :

ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण-ओ. ए. टी.-केंद्र सरकार की स्थापना, यदि ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद इसे आधिकारिक बना दिया जाता है।

- आयोजित किया गयाः केंद्र सरकार इसके बाद कार्यवाहक अधिकारी नहीं बनी

ओ. ए. टी.-फंक्शन ऑफिसिओ के सिद्धांत की स्थापना आमतौर पर उन मामलों में लागू नहीं की जा सकती है जहां सरकार एक नीति तैयार कर रही है और उसे लागू कर रही है। ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना-ओ. ए. टी.-याचिका कि राज्य सरकार ने बंद करके अपनी गलती का फायदा उठाया

ओ. ए. टी. में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजितः

राज्य सरकार ने ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v नहीं किया। भारत का संघ

ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय लेने के बाद ही ओ. ए. टी. की रिक्तियों को भरना बंद कर दिया-ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए अपनी निष्क्रियता से उत्पन्न रिक्तियों (और इसके परिणामस्वरूप लंबितता में वृद्धि) पर भरोसा नहीं किया। ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण-ओ. ए. टी.-न्यायिक प्रभाव आकलन-ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले केंद्र सरकार की विफलता, यदि ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को दूषित करती है-आयोजितः न्यायिक प्रभाव डालने में केंद्र सरकार की विफलता

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले मूल्यांकन ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को दूषित नहीं करता है-न्यायिक प्रभाव का संचालन करने के निर्देश रोजर मैथ्यू के मामले में मूल्यांकन एक सामान्य प्रकृति का था और न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन के अभाव में ओ. ए. टी. जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरणों के उन्मूलन को प्रतिबंधित नहीं करता था-हालाँकि, कानून और न्याय मंत्रालय ने रोजर मैथ्यू के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897: धारा 21-ओ. ए. टी. स्थापित करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने के लिए लागू/आह्वान, जिससे

ओ. ए. टी.-ओ. ए. टी. की स्थापना का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय था न कि एक अर्ध-न्यायिक निर्णय-अर्ध-न्यायिक निर्णयों के विपरीत, प्रशासनिक निर्णयों को एस. के आवेदन द्वारा उलट दिया जा सकता है। 21 - इसके अलावा, एस। 21 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की विषय वस्तु, संदर्भ और प्रभाव के प्रतिकूल नहीं है और इसमें है इसकी योजना और उद्देश्य के साथ सामंजस्य-प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - एस. 4 (2)।

शब्द और वाक्यांश-"फ़ैक्टस ऑफ़िसिओ"-का अर्थ। याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

ए। उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित रिट याचिकाएं विचारणीय थीं क्योंकि अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार; [2023] 6 एस. सी. आर.

बी। अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने से नहीं रोकता है क्योंकि यह एक सक्षम प्रावधान है जो

केंद्र सरकार को अपने विवेक पर (अनुरोध प्राप्त होने पर) एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकार से)। प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति का कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ, इस शक्ति का उद्देश्य और

विधायिका का इरादा यह स्थापित करता है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने का कोई कर्तव्य नहीं है

अधिनियम, ताकि सक्षम प्रावधान एक अनिवार्य प्रावधान बन जाए; सी। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का वैध प्रयोग करते हुए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 लागू की

ओ. ए. टी. स्थापित करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ पढ़ें क्योंकि

एक अर्ध-न्यायिक निर्णय नहीं। इसके अलावा, सामान्य की धारा 21 खंड अधिनियम प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के विषय, संदर्भ और प्रभाव के प्रतिकूल नहीं है और इसकी योजना और उद्देश्य के अनुरूप है।

डी। 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना, जिसके द्वारा ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।

राज्य सरकार ने किसी भी बात को अप्रासंगिक नहीं माना या

केंद्र सरकार से ओ. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध करने के निर्णय पर पहुँचते समय बाहरी कारक। ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय अपने आप में बेतुका या इतना अनुचित नहीं है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इसे नहीं लिया होगा। ई. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय से प्रभावित लोगों के वर्ग को सुनवाई का अधिकार नहीं था। नीतिगत निर्णय लेने से पहले बड़े पैमाने पर जनता (या इसके कुछ वर्गों) को सुनवाई का अधिकार नहीं था।

एफ. ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद केंद्र सरकार कार्यात्मक अधिकारी नहीं बनी क्योंकि इस सिद्धांत को सामान्य रूप से उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां सरकार एक नीति तैयार कर रही है और उसे लागू कर रही है; ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v.

जी. 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना वैध है, हालांकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं की गई है क्योंकि

संविधान के अनुच्छेद 77 का अनुपालन किसी अधिसूचना को अमान्य या असंवैधानिक नहीं बनाता है।

आई. राज्य सरकार ने अपनी गलती का फायदा नहीं उठाया क्योंकि उसने केवल ओ. ए. टी. के रिक्त पदों को भरना बंद कर दिया था इसे समाप्त करने का निर्णय लेने के बाद। ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए अपनी निष्क्रियता के कारण पैदा हुई रिक्तियों (और परिणामस्वरूप विचाराधीनता में वृद्धि) पर यह निर्भर नहीं था; और

जे. ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने में केंद्र सरकार की विफलता दूषित नहीं करती है

ओ. ए. टी. को समाप्त करने का उसका निर्णय क्योंकि रोजर मैथ्यू के मामले में निर्देश सामान्य प्रकृति के थे और न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन के अभाव में ओ. ए. टी. जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरणों के उन्मूलन को प्रतिबंधित नहीं करते थे। हालांकि, कानून और न्याय मंत्रालय को रोजर मैथ्यू के मामले में इस अदालत के निर्देश के अनुसार न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 128] [804-ए ई; 805-ए-एफ]

अभिलिखित निष्कर्षों के संदर्भ में बरकरार रखा गया। [पैरा 129] [805-एफजी] उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित रिट याचिकाएं विचारणीय थीं।

2. आरोप लगाते हुए कि कला के तहत अधिकार। 14 ओ. ए. टी. के उन्मूलन द्वारा उल्लंघन किए जाने पर, अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के हकदार थे। [पैरा 31] [765-ई-एफ]

गुलाम कादिर बनाम। विशेष न्यायाधिकरण (2002) 1 एस. सी. सी. 33: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 504; उड़ीसा राज्य बनाम राम।

चंद्र देव ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 685-संदर्भित।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने से नहीं रोकता है।

3.1 अनुच्छेद 323 के खंड (1) और (2)-ए "मई" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जो दर्शाता है कि अनुच्छेद 323-ए संसद को मजबूर नहीं करता है।

इसे प्रभावी बनाने के लिए एक कानून बनाना। संसद को एक कानून बनाने का विवेकाधिकार सौंपा गया है जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा कुछ विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है। यह एक अनुमेय प्रावधान है। यह प्रावधान सुविधाजनक और सक्षम है। हालांकि, इसमें

कुछ मामलों में, कुछ करने की शक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है उस शक्ति का प्रयोग करना कर्तव्य है। [पैरा 33,34] [766-एच; 767-ए-बी]

प्रशासन स्थापित करने के विवेकाधिकार के साथ सरकार न्यायाधिकरण। इसका परिणाम यह है कि अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के बाद उसे समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है। [पैरा 42] [771-सी-डी]

आधिकारिक परिसमापक v. धरती धन (पी) लिमिटेड (1977) 2 एस. सी. सी. 166 [1977] 2 एस. सी. आर. 964; धामपुर चीनी मिल

लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 338: [2007] 10 एससीआर 245; दिलीप के बसु बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2015)

8 एससीसी 744 [2015] 7 एससीआर 814-संदर्भित। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 की प्रयोज्यता

4.1 केंद्र सरकार ने धारा 21 को लागू किया

ओ. ए. टी. की स्थापना करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ सामान्य खंड अधिनियम पढ़ा जाता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21, निर्माण का नियम है। [पैरा 43] [771-ई]

4.2 केंद्र सरकार ओ. ए. टी. की स्थापना के समय न्यायिक क्षमता में कार्य नहीं कर रही थी। ओ. ए. टी. की स्थापना पर, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को ओ. ए. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया। वास्तव में, एस. ए. टी. स्थापित करने का निर्णय नीति और समीचीनता पर आधारित होता है। यह प्रत्येक राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह अपने राज्य के भीतर एक एस. ए. टी. की आवश्यकता का मूल्यांकन करे, लाभ और नुकसान के साथ-साथ वित्तीय, ओ. आर. आई. एस. ए. प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v पर विचार करे।

एस. ए. टी. की स्थापना के प्रशासनिक और अन्य व्यावहारिक पहलू। केंद्र सरकार तब एस. ए. टी. की स्थापना कर सकती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार अनुरोध प्राप्त करना। एस. ए. टी. स्थापित करने का निर्णय निस्संदेह है।

एक प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय, इसके विपरीत

अर्ध-न्यायिक निर्णयों को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अनुप्रयोग द्वारा उलट दिया जा सकता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 की प्रयोज्यता तत्काल मामले में बाहर नहीं है। ओ. ए. टी. स्थापित करने का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। [पैरा 51,52] [774-ई-एच; 775-ए]

4.3 अर्ध-न्यायिक और न्यायिक के बीच का अंतर

के उद्देश्य से प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं

यह निर्धारित करना कि क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को एस. ए. टी. स्थापित करने के निर्णय को उलटने के लिए लागू किया जा सकता है।

प्रशासनिक आदेश कानून के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं। [पैरा 53] [775-बी]

औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम। (ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम सीआईटी (2018) 4 एससीसी 494: [2018] 10 एससीआर

481 - अप्रयोज्य रखा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) v. समाज कल्याण संस्थान (2002) 5 एस. सी. सी. 685: [2002] 3 एस. सी. आर. 1040; बॉम्बे प्रांत बनाम। खुशालदास एस. आडवाणी (1950) एस. सी. सी. 551; हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड बनाम। घनश्याम दास गुप्ता एआईआर 1962 एससी 1110

: [1962] पूरक। एस. सी. आर. 36-संदर्भित।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 अन्यथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पर लागू होती है।

5.1 सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को तब लागू किया जा सकता है जब इसका आवेदन विषय-वस्तु, संदर्भ और क़ानून के प्रभाव के लिए प्रतिकूल नहीं होगा और जब यह इसकी योजना और उद्देश्य के अनुरूप हो। न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए विचाराधीन कानून के प्रावधानों का उल्लेख कर सकता है कि क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 लागू होगी। [पैरा 56] [776-बी]

5.2 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का उद्देश्य बकाया राशि को कम करना और त्वरित न्याय के प्रावधान को सक्षम बनाना है।

वादियों। एस. ए. टी. को समाप्त करने से यह उद्देश्य [2023] 6 एस. सी. आर. विफल नहीं होगा।

क्योंकि एस. ए. टी. एकमात्र तरीका नहीं है जिसके द्वारा वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के उन्मूलन का प्रभाव वादियों को किसी उपाय से वंचित करना नहीं होगा क्योंकि एस. ए. टी. के समक्ष मामले उस मंच में पुनर्जीवित हो जाएंगे जिसमें वे उस एस. ए. टी. की स्थापना से पहले लंबित थे। विषय वस्तु और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का संदर्भ भी सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के लागू होने के खिलाफ नहीं है। इसलिए प्रशासनिक में कुछ भी नहीं है।

न्यायाधिकरण अधिनियम जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अनुप्रयोग के प्रतिकूल है। संबंधित राज्य सरकार के पास एस. ए. टी. को समाप्त करने के लिए अनुरोध जारी करने की निहित शक्ति है।

केंद्र सरकार को राज्य। केंद्र सरकार के पास उस अधिसूचना को रद्द करने की निहित शक्ति है जिसके द्वारा उस एस. ए. टी. की स्थापना की गई थी, जिससे एस. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया। [पैरा 59] [777 बी-ई]

5.3 वर्तमान मामले में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के लागू होने में ऐसी कोई बाधा नहीं है। वस्तु।

यदि एक एस. ए. टी. बनाया जाता है और फिर समाप्त कर दिया जाता है तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम निराश नहीं होगा। संघ और राज्य

सरकारें वैकल्पिक मार्ग अपना सकती हैं (जिनमें से कुछ पहले से ही परिचालन में हैं, जो एस. ए. टी. के पूरक हैं) एक ही उद्देश्य को प्राप्त करना। [पैरा 62] [778-एफ-जी]

5.4 . अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि एस. ए. टी. को समाप्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति उसी कानून से आनी चाहिए जो उन्हें स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उनका तर्क है कि केंद्र सरकार के पास एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति नहीं है क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। यह तर्क इस सरल कारण से विफल हो जाता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का उद्देश्य तत्काल मामले जैसी आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करना है जब विचाराधीन क़ानून स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान नहीं करता है

जारी की गई अधिसूचना (या आदेश, नियम या कानून द्वारा) में जोड़ें, संशोधन करें, परिवर्तन करें या रद्द करें। बेशक, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का अनुप्रयोग डी एन गांगुली के मामले में निर्धारित परीक्षण के साथ-साथ अन्य आवश्यकताओं के अधीन है।

प्रावधान में ही उल्लिखित है। यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को अनुचित माना जाएगा।

यह किसी भी क़ानून पर लागू नहीं होगा जो ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v करता है। भारत का संघ

अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या उन्हें निरस्त करने की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर, यदि कानून स्वयं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

यह एक कल्पनीय स्थिति नहीं है क्योंकि अदालतों को कानूनों की व्याख्या करनी चाहिए ताकि उन्हें व्यर्थ बनाने के बजाय उनके प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। [पैरा 63,64] [778-एच; 779-ए-डी] 5.5 अपीलकर्ताओं ने कहा कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। न तो संविधान का अनुच्छेद 323-ए और न ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम

एस. ए. टी. एस का उन्मूलन। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को "सीधे" समाप्त करने से रोका गया है और उसने इस तरह के प्रतिबंध से बचने और "अप्रत्यक्ष रूप से" ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लिया है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर केंद्र सरकार की निर्भरता

ओ. ए. टी. को समाप्त करना कानूनी रूप से अनुमत है। [पैरा 65] [779-डी-एफ]

5.6 ओ. ए. टी. से उड़ीसा उच्च न्यायालय में मामलों का हस्तांतरण, ठीक से वर्णित है, बाद के उच्च न्यायालय का पुनरुद्धार है।

अधिकार क्षेत्र। यह विवादित निर्णय कि ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ओ. ए. टी. के उन्मूलन द्वारा नहीं बनाया जा रहा है या बढ़ाया नहीं जा रहा है। यह पहले इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था और केवल उसी विषय पर अपने अधिकार क्षेत्र को फिर से शुरू कर रहा है। प्राकृतिक

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना को रद्द करने का परिणाम

ओ. ए. टी. की स्थापना पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए होगी। संविधान के अनुच्छेद 323-ए या प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में से कुछ भी इस तरह के पुनरुत्थान को नहीं रोकता है। इसके अलावा, संविधान में एक प्रावधान का अभाव जो स्पष्ट रूप से

अनुमति देता है कि पुनरुद्धार इस तरह के पुनरुद्धार में बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है। सामान्य संविधान की धारा 21 पर केंद्र सरकार की निर्भरता खंड अधिनियम कानून के अनुसार है। [पैरा 71,72] [781-एफ-एच;

782 - ए-बी]

एच. पी. के उपराज्यपाल अविनाश शर्मा (1970) 2 एस. सी. सी.

149 [1971] 1 एस. सी. आर. 413 विशिष्ट।

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक (1988) 2 एससीसी 602: [1988]

1 पूरक। एस. सी. आर. 1-लागू नहीं होता है।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार राज्य बनाम। डी एन गांगुली 1959 एससीआर 1191; कमला प्रसाद खेतान बनाम। भारत संघ 1957 एससीआर 1052; एम. पी. बनाम राज्य अजय सिंह (1993) 1 एस. सी. सी. 303: [1992] 2

पूरक। एस. सी. आर. 274; तमिलनाडु सरकार सभी

डिपार्टमेंट वॉचमैन एंड बेसिक सर्वेंट्स एसोसिएशन

वी. भारत संघ 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 333; जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1092; एम. पेंटिया पेंटिया बनाम। मुद्दा वीरमल्लप्पा (1961) 2 एस. सी. आर. 295 का उल्लेख किया गया है।

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। 6.1 ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय पर पहुँचते समय, राज्य सरकार ने प्रासंगिक कारणों पर विचार किया। यह माना जाता है

क्या ओ. ए. टी. उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम था जिसके लिए इसकी स्थापना एल. चंद्र कुमार के फैसले के बाद की गई थी। इसने ओ. ए. टी. के संचालन के लिए किए गए खर्च के साथ-साथ मामलों के निपटान की दर को संतुलन में रखा। ये कारण इस निर्णय के लिए अप्रासंगिक नहीं थे कि क्या एक न्यायाधिकरण को जारी रखा जाना चाहिए;

6.2 उड़ीसा उच्च न्यायालय से परामर्श करने का राज्य सरकार का कार्य (संघ से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर) सरकार) ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले अप्रासंगिक या बाहरी नहीं थी। ओ. ए. टी. के समक्ष मामलों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना था और बाद वाले की राय राज्य सरकार के फैसले के लिए प्रासंगिक थी।

6.3 राज्य सरकार ने उन कारकों पर विचार नहीं किया जो उसके निर्णय के लिए अप्रासंगिक या बाहरी थे। यह हुआ फैसला

ओ. ए. टी. को समाप्त करना इतना बेतुका नहीं था कि किसी भी उचित व्यक्ति या प्राधिकरण ने इसे कभी नहीं लिया होगा। एक न्यायाधिकरण को समाप्त करने का निर्णय, जिसे उसने प्रासंगिक कारकों के विश्लेषण के आधार पर स्थापित किया था, किसी भी तरह से एक बेतुका या अनुचित निर्णय नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। [पैरा 82] [788-ए-ई] 6.4 ओ. ए. टी. को स्थापित करने, जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ओ. ए. टी. द्वारा तैयार और कार्यान्वित नीति की प्रकृति में है।

राज्य सरकार (ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v के तहत केंद्र सरकार के साथ कार्य करना।

नीतिगत निर्णय से प्रभावित होने पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता है। यह न केवल समय लेने वाला होगा और महंगा, लेकिन गहराई से अव्यावहारिक। [पैरा 86] [789-जी; 790-ए बी]

6.5 किसी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन से पहले सुनवाई के अधिकार की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि प्रभावित पक्ष

कानून की अदालत में नीति को चुनौती देने से वर्जित हैं। इसका मतलब यह है कि किसी नीतिगत निर्णय को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह बड़े पैमाने पर जनता के सदस्यों (या इसके कुछ हिस्से) को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया था। किसी नीति के लिए चुनौती स्थायी हो सकती है यदि यह संवैधानिक अधिकारों को दूषित करने के लिए पाई जाती है या अन्यथा के जनादेश का उल्लंघन करती है

कानून। इस प्रकार, ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया गया है। [पैरा 88,89] [791-बी-डी]

बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ (2002) 2 एससीसी 333: [2001] 5 पूरक। एससीआर 511-निर्भर

पर।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी

261 : [1997] 2 एससीआर 1186; ई. पी. रोयप्पा बनाम टी. एन. राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 328; जी. बी. महाजन बनाम जलगाँव नगर परिषद (1991) 3 एस. सी. सी. 91: [1990] 3 पूरक। एससीआर 20; टाटा सेल्युलर बनाम। भारत संघ (1994)

6 एस. सी. सी. 651 [1994] 2 पूरक। एससीआर 122; पंजाब

कम्युनिकेशंस लिमिटेड v. भारत संघ (1999) 4 एस. सी. सी. 727 [1999] 2 एस. सी. आर. 1033; भारत संघ बनाम।

इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. (2003) 5 एस. सी. सी. 437: [2003] 1 पूरक। एससीआर 55; ओम कुमार बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एयर

(2000) एससी 3689 [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 693; टेरी ओट एस्टेट (पी) लिमिटेड v. केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (2004) 2 एस. सी. सी. 130: [2003] 6 पूरक। एससीआर 1235; एम. पी. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. भारत संघ (2004) 11 एससीसी 766: [2004] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 520-संदर्भित।

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस, लिमिटेड

वेड्सबरी निगम [1948] 1 के. बी. 223-संदर्भित

को।

ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद केंद्र सरकार कार्यवाहक अधिकारी नहीं बनी

7.1 फंकटस ऑफिसिओ का सिद्धांत अंतिमता के सिद्धांत को प्रभाव देता है। एक बार जब कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण कोई निर्णय दे देता है, तो उसके लिए निर्णय पर पुनर्विचार करने और उसे संशोधित करने, सही करने, स्पष्ट करने या उलटने (कानून द्वारा प्रदत्त समीक्षा की शक्ति के प्रयोग को छोड़कर) का अधिकार नहीं है। एक बार जब कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक निर्णय अंतिमता प्राप्त कर लेता है, तो यह केवल परिवर्तन के अधीन होता है।

7.2 फंकटस ऑफिसिओ का सिद्धांत एक स्पष्ट बिंदु प्रदान करने के लिए मौजूद है जहां न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होती है और शांति लाती है। विवाद के लिए। इसके बिना, अदालतों जैसे निर्णय लेने वाले निकाय अंतहीन रूप से अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकते थे। अदालत या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष किसी मामले के एक निश्चित अंतिम बिंदु के साथ, पक्ष न्यायिक समीक्षा की मांग करने या अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैकल्पिक रूप से, उनके अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह के विचार राज्य के उन निर्णयों पर लागू नहीं होते हैं जो पूरी तरह से नीति या समीचीनता पर आधारित होते हैं। [पैरा 94] [792-ई-एफ]

7.3 अपीलार्थियों का तर्क है कि केंद्र सरकार

प्रशासनिक और नीतिगत विचारों पर आधारित। यदि फंकटस ऑफिसियो के सिद्धांत को राज्य द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो इसकी कार्यकारी शक्ति पंगु हो जाएगी। राज्य खुद को किसी भी नीति या नीति-आधारित निर्णय को बदलने या उलटने में असमर्थ पाएगा और इसका कामकाज रुक जाएगा। सभी नीतियां अंतिम रूप ले लेंगी और किसी भी परिवर्तन को लागू करना लगभग असंभव होगा। [पैरा 95] [792-जी; 793-ए] 7.4 इससे न केवल बड़े नीतिगत निर्णय प्रभावित होंगे, बल्कि छोटे नीतिगत निर्णय भी प्रभावित होंगे। प्रमुख नीतिगत निर्णय जैसे कि सब्सिडी, निगमित शासन, आवास, शिक्षा और सामाजिक संगठन प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन।

यदि प्रशासनिक निर्णयों पर फंकटस ऑफिसियो के सिद्धांत को लागू किया जाना था तो कल्याण को रोक दिया जाएगा। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि यह सरकार और शासन की नींव रखने के उद्देश्य को विफल कर देगा। अपने स्वभाव से, नीतियां हैं किसी भी समय समाज में प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन के अधीन। फंकटस ऑफिसिओ के सिद्धांत को आम तौर पर उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां सरकार एक नीति तैयार कर रही है और उसे लागू कर रही है। [पैरा 96] [793-बी-डी]

7.5 तत्काल मामले में, राज्य और केंद्र सरकार का अधिकार एक की स्थापना के बाद समाप्त नहीं हुआ है

एसएटी। इसी तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने अपने निर्माण के उद्देश्य को पूरा किया है और एक बार एस. ए. टी. की स्थापना करने के बाद उनका कोई गुण या प्रभाव नहीं है। राज्य कानून के अनुसार अपने नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। इन कारणों से, केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद आधिकारिक रूप से कार्य नहीं दिया गया था। [पैरा 97] [793-डी-ई]

हरि सिंह मान बनाम। हर्भजन सिंह बाजवा (2001) 1

एससीसी 169: [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 313-संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण); ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण)-संदर्भित।

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं किए जाने के बावजूद वैध है।

8.1 एक अधिसूचना जो अनुच्छेद 77 के खंड (1) का अनुपालन नहीं करती है, उसके लिए अमान्य, असंवैधानिक या गैर-निहित नहीं है।

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। [पैरा 101] [795-एफ-जी] 8.2 तत्काल मामले में, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना राष्ट्रपति के नाम से जारी नहीं की गई थी। हालांकि ऐसा होता है।

अधिसूचना को अमान्य न करें। अनुपालन न करने का प्रभाव

अनुच्छेद 77 के साथ यह है कि केंद्र सरकार इस निर्विवाद धारणा के लाभ का दावा नहीं कर सकती है कि अधिसूचना दिनांकित [2023] 6 एस. सी. आर.

2 अगस्त 2019 राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। इसलिए, अपीलार्थियों का यह निवेदन कि 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना अमान्य है

और असंवैधानिक विशिष्ट है। [पैरा 102] [795-जी-एच; 796-ए]

8.3 4 जुलाई 1986 की अधिसूचना और 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना दोनों ही राष्ट्रपति (केंद्र सरकार के लिए कार्य करने वाले) द्वारा जारी की गई थीं। अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र में कानून के अनुसार प्रकाशित की गई थीं और इस सुझाव का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्राधिकरण जो अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है, ने इसे जारी किया है। इसके विपरीत, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है और इस तरह से जारी अधिसूचना को रद्द करने की परिचर शक्ति भी केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है। दोनों अधिसूचनाओं को जारी करना केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति का एक अभ्यास था

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। [पैरा 104] [796-सी-ई] 8.4 अनुच्छेद 77 एक निर्देशिका प्रावधान है। अनुच्छेद 77 (1) उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय

व्यक्त किया। यह अनुच्छेद 77 के खंड (1) में "लिए जाने के लिए व्यक्त" वाक्यांश से स्पष्ट है। इसका कोई संबंध नहीं है

निर्णय लेने की प्रक्रिया-स्वयं बनाना। घोषणा के परिणामों से जनता या नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आदेश जो राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं किया गया है, अमान्य है। [पैरा 107] [797-डी-ई]

8.5 तत्काल मामले में, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना के तहत वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। इस प्रकार, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं किए जाने के बावजूद वैध है। [पैरा 109,110] [798-एच; 799-ए]

दत्तात्रेय मोरेश्वर पांगारकर बनाम। बॉम्बे राज्य (1952) 1 एस. सी. सी. 372; उत्तरांचल राज्य बनाम। सुनील कुमार वैश्य (2011) 8 एस. सी. सी. 670 [2011] 13 एस. सी. आर. 754; गल्फ गोवा होटल कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2014) 10 एससीसी

673 [2014] 10 एस. सी. आर. 536-लागू नहीं होता है।

एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन। वी. यशस्विनी मर्चेंट (2003) 6 एस. सी. सी. 277: [2003] 1 पूरक। एससीआर 455-संदर्भित

को।

ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. भारत का संघ

ओ. ए. टी. का उन्मूलन न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

9.1 न्याय तक पहुँच का मौलिक अधिकार निस्संदेह भारत के संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य अधिकार है।

9.3 इसलिए वादी विवादों के समाधान के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ओ. ए. टी. का उन्मूलन नहीं है वादियों को बिना किसी उपाय के या विचाराधीन विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक मंच के बिना छोड़ दें। इसलिए यह न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। [पैरा 115] [800-एफ]

अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सूडान (2016) 8 एस. सी. सी. 509:

[2016] 9 एस. सी. आर. 560-पर निर्भर।

राज्य सरकार ने अपना लाभ नहीं उठाया

गलत

10. राज्य सरकार ने नियुक्तियाँ बंद कर दीं

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने निर्णय के परिणामस्वरूप ओ. ए. टी. और इसके विपरीत नहीं। राज्य सरकार ने अपना निर्णय वर्ष 2014 में ओ. ए. टी. के कामकाज के मूल्यांकन पर आधारित किया, जो ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने निर्णय से पहले था। इसलिए, ऐसा कोई "गलत" नहीं है जिसका राज्य सरकार ने फायदा उठाया हो। इसी तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत संघ ने व्यवस्थित रूप से ओ. ए. टी. को गैर-कार्यात्मक बना दिया था। [पैरा 118] [801-ई-एफ] [2023] 6 एस. सी. आर.

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले प्रभाव मूल्यांकन ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को दूषित नहीं करता है।

11.1 रोजर मैथ्यू के मामले में न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश सामान्य प्रकृति का था। यह ओ. ए. टी. जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के प्रस्तावों के लिए तैयार नहीं था। बल्कि, वित्त अधिनियम 2017 द्वारा न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन के परिणामों का विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस की गई और इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय को एक आदेश पत्र जारी किया गया। न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन को भी मामले के भार, प्रभावकारिता को बेहतर ढंग से समझने के लिए आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। रिक्तियों को भरने के अलावा वित्तीय प्रभाव और बड़े पैमाने पर न्यायाधिकरणों की पहुंच। न तो रंजन गोगोई, सीजेआई द्वारा लिखित बहुमत की राय और न ही डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. या दीपक गुप्ता, जे. की राय में इस आशय का निर्देश है कि न्यायिक प्रभाव के अभाव में एक न्यायाधिकरण को समाप्त नहीं किया जाएगा।

मूल्यांकन। तत्काल मामले में, केंद्र सरकार ने सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का वैध प्रयोग करते हुए 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी की। विफलता न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करना ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को दूषित नहीं करता है। रोजर मैथ्यू के मामले में फैसले में कुछ भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले इस अदालत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। [पैरा 122] [802-ई-एच; 803-ए-बी]

11.2 हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से, कानून और न्याय मंत्रालय

रोजर मैथ्यू के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों को समाप्त करें। फैसला 13 नवंबर 2019 को दिया गया था। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है और कानून और न्याय मंत्रालय ने अभी तक न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया है। जिस तरह का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है, वह केवल न्याय प्रदान करने में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालेगा। मूल्यांकन की कमी किसी भी अच्छी तरह से सूचित, बुद्धिमान कार्रवाई को रोकती है

देश में (समग्र रूप से) न्यायाधिकरणों से संबंधित। इसके बदले में, नागरिकों के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीनरी से वंचित है जिसके द्वारा वह न्याय प्राप्त कर सकता है। इसलिए रोजर मैथ्यू के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों को दोहराया जाता है और ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v.

भारत का एक

टाइस को न्यायिक ए का संचालन करने का निर्देश दिया जाता हैसबसे खराब। [पैरा 123,124] [803-बी-डी]

इंडियन बैंक लिमिटेड (2020) 6 एससीसीपीछा किया।

संदर्भ

बी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

एस.

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 52

ई.

पैरा 54

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

पैरा 60

प्रतिष्ठित

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

पैरा 64

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 71

पैरा 74

संदर्भित किया गया है

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 75

पैरा 75

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 75

[2003] 1 पूरक। एससीआर 55

संदर्भित किया गया है

पैरा

75

[2000] 4 पूरक। एससीआर 693

संदर्भित किया गया है

पैरा

84

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1235

पैरा

84

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

उस पर भरोसा करें

पैरा

87

[2000] 4 पूरक। एससीआर 313

संदर्भित किया गया है

पैरा

93

[2003] 1 पूरक। एससीआर 455

संदर्भित किया गया है

पैरा

100

अप्रयोज्य रखा गया

(1952) 1 एस. सी. सी. 372

पैरा

107

[2011] 13 एससीआर 754

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

108

[2014] 10 एससीआर 536

पैरा

109

अप्रयोज्य रखा गया

[2016] 9 एससीआर 560

उस पर भरोसा करें

पैरा

113

[2019] 16 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा

122,123
124 , 128 (जे)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.680:

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 07.06.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के डब्ल्यू. पी. सी. No.13789 में कटक में उड़ीसा का।

के साथ

2022 की सिविल अपील No.6806।

अशोक पाणिग्रही, सुश्री गीतांजलि दास कृष्णन, नवाब सिंह, सुश्री

निकिता जयदेवन, सुश्री वर्णाली मिश्रा, डॉ. अमन हिंगोरानी, केदार नट त्रिपाठी, भुवनेश्वर राज, हिमांशु यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., अशोक के. आर. परिजा, अधिवक्ता। जनरल, सिबो शंकर मिश्रा

अर्णव बेहरा, अवनीश कुमार शर्मा, देबब्रत दास, निरंजन साहू उमाकांत मिश्रा, राजेश कुमार नायक, संतोष कुमार, संजय के त्यागी, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, शी मंगल शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, सी. रविचंद्रन अय्यर, उत्तरदाताओं के वकील।

ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. भारत का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

सामग्री की तालिका *

पृष्ठभूमि.

4

आई. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4

ii. विवादित फैसला

..... 10

प्रस्तुतियाँ।

12

मुद्दे।

17

विश्लेषण करें।

19

आई. से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों का अवलोकन

मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उन्मूलन और तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 19

एम. पी. ए. टी का उन्मूलन।

19

ए।

..... 21

बी। टीएनएटी का उन्मूलन। ... .

ii. उड़ीसा के समक्ष स्थापित रिट याचिकाएँ

उच्च न्यायालय बनाए रखने योग्य थे।

... . 23

iii. अनुच्छेद 323-ए संघ को प्रतिबंधित नहीं करता है।

एस. ए. टी. एस. को समाप्त करने से सरकार।

.....

25

iv. सामान्य खंडों की धारा 21 की प्रयोज्यता

.....

32

एक्ट करें।

धारा 21 के लागू होने पर कोई रोक नहीं है।

ए।

प्रशासनिक के लिए सामान्य खंड अधिनियम

ओ. ए. टी. स्थापित करने का आदेश।

33

. ...

बी।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 है -

अन्यथा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर लागू होता है

एक्ट करें।

..... 37

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना का उल्लंघन नहीं है।

47

संविधान का अनुच्छेद 14

ध्यान दें: विषय-सूची में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना बेतुकी या बेतुकी नहीं है।

ए।

अप्रासंगिक या बाहरी विचारों पर आधारित।

बी।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं हैं

उल्लंघन किया गया

..... 56

केंद्र सरकार आधिकारिक नहीं बनी

vi.

..... 58

ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद

vii. 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना इसके बावजूद वैध है।

राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त नहीं किया जा रहा

भारत।

..... 61

viii. ओ. ए. टी. का उन्मूलन इसका उल्लंघन नहीं है

... . 67

न्याय तक पहुँच का मौलिक अधिकार

ix. राज्य सरकार ने अपना लाभ नहीं उठाया

..... 70

गलत... ....

x. संचालन करने में केंद्र सरकार की विफलता

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने निर्णय को दूषित नहीं करता है।

विविध विवाद

..... 74

xi. ई. निष्कर्ष और निष्कर्ष

..... 75

1. 2022 का आई. ए. सं. 52385 (श्री सी. द्वारा हस्तक्षेप के लिए आवेदन)

रविचंद्रन अय्यर) को अनुमति दी गई है।

ए. पृष्ठभूमि

आई. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

दिनांक 7 जून 2021 को ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उन्मूलन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह में। 1 जिन तथ्यों ने इस अपील में मुद्दों को जन्म दिया, उन्हें निर्धारित करने से पहले, यह समझना आवश्यक है कि वे किस संदर्भ में उत्पन्न हुए।

3. संसद ने भारत के संविधान के भाग XIV-A को शामिल किया

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976। भाग XIV-ए कॉन

1 " ओ. ए. टी. "ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

यह दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी से बना है। अनुच्छेद 323 ए अधिकार देता है

संसद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा कुछ विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान करेगी। संघ या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित किसी निगम के मामलों के साथ मिलकर लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। अनुच्छेद 323 बी राज्यों की विधानसभाओं को कुछ निर्णयों का प्रावधान करने का अधिकार देता है। न्यायाधिकरणों द्वारा पुट (अनुच्छेद 323 बी के खंड 2 में सूचीबद्ध)।

4. अनुच्छेद 323 ए (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985.2 राज्य को अधिनियमित किया। इस विधान के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख करता है कि इसे अनुच्छेद 323 ए को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, और यह भी क्योंकिः

" विभिन्न न्यायालयों में सेवा मामलों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। यह उम्मीद की जाती है कि स्थापना विशेष
रूप से सेवा से निपटने के लिए ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण

ये मामले न केवल विभिन्न न्यायालयों के बोझ को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे और इस तरह उन्हें अन्य मामलों से तेजी से निपटने के लिए अधिक समय मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को भी इस संबंध में त्वरित राहत प्रदान करेंगे।

उनकी शिकायतों के बारे में।

5. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक ज्ञात प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी।

संबंधित व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संघ या अखिल भारतीय सेवा के तहत पद, जिसमें पारिश्रमिक, पेंशन, कार्यकाल, छुट्टी और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में विवाद शामिल हैं। 5

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के संदर्भ में, केंद्र सरकार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है -

2 " प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम " 3 " कैट "4 धारा 3 (क्यू) के साथ पठित धारा 14, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 5 धारा 3 (क्यू), प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम

में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में 7 संबंधित राज्य या उस राज्य की किसी सिविल सेवा के तहत पदों के संबंध में, जिसमें पारिश्रमिक, पेंशन, कार्यकाल, छुट्टी और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में विवाद शामिल हैं।

6. एस. ए. टी. को किसी ऐसे मामले पर अधिकार क्षेत्र, अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है जिसका विस्तार सी. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र में होता है। जबकि अनुभाग

4 (2) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम एस. ए. टी. एस. की स्थापना को नियंत्रित करता है, इसके अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें बंद करने या समाप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में, मुकदमे या अन्य कार्यवाही जो पहले लंबित हैं।

न्यायालय या अन्य प्राधिकरण जो एस. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र में होते यदि एस. ए. टी. की स्थापना के बाद इस तरह के मुकदमे या कार्यवाही में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ होता, तो इसकी स्थापना की तारीख को एस. ए. टी. को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य मंचों के समक्ष लंबित मामले (संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों सहित, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को छोड़कर) एस. ए. टी. को इसकी स्थापना के बाद स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अधिनियमन के बाद, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार से एक एस. ए. टी. स्थापित करने का अनुरोध किया और केंद्र सरकार ने उन्हें स्थापित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं। ओडिशा इन राज्यों में से एक था। ओडिशा राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की।

ओ. ए. टी. ने 4 जुलाई 1986 को अधिसूचना सं. जीएसआर 934 (ई), जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ओ. ए. टी. ने इसके तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया।

7. इस समय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 28 अभी भी लागू थी। धारा 28 उन मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करती है जिन पर कैट और एसएटी ने अधिकारिता का प्रयोग किया था। धारा 28 को अनुच्छेद 323-ए में सक्षम प्रावधान के अनुसार अधिनियमित किया गया था।

संविधान, अर्थात् अनुच्छेद 323-ए का खंड 2 (डी)। खंड 2 (डी) में प्रावधान किया गया है कि संसद उन विवादों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर सकती है, जिन्हें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को निर्णय देने का अधिकार दिया गया था।

7 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 3 (क्यू) के साथ पठित धारा 15

धारा 3 (क्यू), प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम

9 9 धारा 15 (4), प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v.

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अनुच्छेद 323-ए के खंड 1 के तहत। धारा 28 का प्रभाव

इसलिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम यह था कि ओ. ए. टी. से अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है।

हालाँकि, एल. चंद्र कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले के साथ यह बदल गया। भारत संघ (1997) 3 एस. सी. सी. 261। उस मामले में अपने फैसले में, इस अदालत ने अन्य बातों के साथ फैसला सुनाया किः

अनुच्छेद 323-ए का खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323 का खंड 3 (डी)

ए।

बी इस हद तक असंवैधानिक थे कि उन्होंने अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर कर दिया;

बी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 28 थी

अनुच्छेद 323-ए और 323 बी; सी के तहत अधिनियमित अन्य सभी विधानों में 'अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार' खंड असंवैधानिक थे। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों को और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है; और

डी। अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण अनुच्छेद 226/227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभा सकते हैं और

32 संविधान से।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती

एस. ए. टी. एस. द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए संविधान की धारा का संबंध उन संबंधित उच्च न्यायालयों की खंड पीठों से है जिनके अधिकार क्षेत्र में एस. ए. टी. एस. संचालित होता है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत लागू किया जा सकता है।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि एल. चंद्र कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने के लिए ओडिशा राज्य को प्रभावित किया। 16 सितंबर 2015 के एक पत्र द्वारा, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने भारत सरकार के सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से ओ. ए. टी. को समाप्त करने वाले प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया। पत्र में यह अनुरोध करने के लिए राज्य सरकार का कारण दर्ज किया गया है निम्नलिखित शर्तें -

" ओडिशा सरकार का विचार है कि न्यायाधिकरण अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 के एल. चंद्र कुमार मामले में निर्णय देने के बाद। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एक राज्य [2023] 6 एस. सी. आर. होने का उद्देश्य ही था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी तरह से पीड़ित पक्षों को माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करना पड़ता है।

अंतिम फैसले के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले अदालत।

16 सितंबर 2015 के पत्र के साथ संलग्न एक नोट में ओ. ए. टी. को समाप्त करने की मांग के लिए राज्य सरकार के तर्क के बारे में विस्तार से बताया गया हैः

" सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के परिणामस्वरूप अदालत (एल. चंद्र कुमार में), सरकारी कर्मचारियों को त्वरित न्याय देने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। पीड़ित पक्ष ओ. ए. टी. के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख कर रहे हैं और फिर उच्चतम न्यायालय का रुख कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लंबी मुकदमेबाजी हो रही है। सरकार ओ. ए. टी. पर एक महत्वपूर्ण राशि खर्च कर रही है। न्यायाधिकरण के उन्मूलन से सरकार के लिए मुकदमेबाजी का बोझ कम होगा और विवादों/मुकदमेबाजी के समाधान के लिए समय भी कम होगा।

चुनौती के दो स्तरों के अधीन थे (पहले उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष) जिसका अर्थ था कि त्वरित न्याय नहीं दिया जा सकता था। राज्य सरकार ने पहले से लंबित मामलों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है उड़ीसा उच्च न्यायालय को ओ. ए. टी.।

9. 12 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य से उड़ीसा उच्च न्यायालय के विचारों के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के प्रस्ताव पर, वह कानूनी तंत्र जिसके द्वारा ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, और ओ. ए. टी. के कर्मचारियों के संबंध में कार्य योजना के संबंध में। तदनुसार, 1 फरवरी 2016 को, ओडिशा राज्य ने इस मामले पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के विचार मांगे। इसके बाद, केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य को ओ. ए. टी. को समाप्त करने के प्रस्ताव की अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी से अवगत कराया।

10. 5 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार और ओडिशा राज्य को लिखे एक पत्र के माध्यम से, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बताया कि उसने कर्मचारियों के स्थानांतरण और लंबित मामलों के संबंध में ओ. ए. टी. और परिचर प्रस्तावों को समाप्त करने के निर्णय को स्वीकार करने का संकल्प लिया है। 22 फरवरी 2019 को, ओडिशा राज्य ने भारत संघ को पत्र लिखकर सूचित किया कि ओ. ए. टी. के कर्मचारियों को "ओडिशा सरकार के तहत विभाग के अन्य प्रमुखों में उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

समकक्ष संवर्ग और पद में रिक्तियों के आधार पर। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है और ओ. ए. टी. ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। 11. केंद्र सरकार ने सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 का सहारा लिया और 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना जी. एस. आर. 552 (ई) जारी करके ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया। इस अधिसूचना का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

" अब, इसलिए, उप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 4 की धारा (2), जिसे सामान्य खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पढ़ा जाता है, केंद्र सरकार एतद्वारा 4 जुलाई 1986 की उक्त अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 934 (ई) को रद्द करती है।

राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस तरह के निरसन से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़ दिया गया है।

भारत का "।

ii. विवादित फैसला

12. 2019 में, प्रत्येक अपीलार्थी ने 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। साथ ही ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए 9 सितंबर 2015 को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का निर्णय)। प्रतिद्वंद्वी उप-मिशनों पर विचार करने के बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से 7 जून 2021 के अपने सामान्य निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दियाः

13 .

ए। अनुच्छेद 323-ए एक सक्षम प्रावधान है। यह नहीं करता है

केंद्र सरकार को स्थापित करने के लिए अनिवार्य

प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उन्हें एक बार समाप्त करने से बचें

वे स्थापित हैं;

बी। ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है। इसलिए केंद्र सरकार के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू करने पर कोई रोक नहीं है ताकि ओ. ए. टी. की स्थापना की अधिसूचना को रद्द किया जा सके।

सी। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आह्वान के परिणामस्वरूप न्याय से इनकार नहीं होता है क्योंकि मामले लंबित हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. ए. टी. के समक्ष उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसलिए, वादियों को धारा 21 के आह्वान से पूर्वाग्रह नहीं होता है;

डी। यह प्रस्ताव कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं होता क्योंकि न तो अनुच्छेद 323

संविधान का ए और न ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) केंद्र या राज्य सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने से रोकती है।

ई. केंद्र सरकार को आधिकारिक नहीं बनाया गया था

इसने ओ. ए. टी. की स्थापना की क्योंकि यह अभ्यास कर रहा था

प्रशासनिक कार्य न कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य;

एफ. 2 तारीख की अधिसूचना के परिणामस्वरूप उड़ीसा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न तो बनाया गया था और न ही बढ़ाया गया था।

अगस्त 2019। बल्कि, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया था;

जी। संघ और राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया

सरकारें मनमानी, तर्कहीन या अनुचित नहीं थीं।

और इसने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया;

एच. इस आरोप का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओ. ए. टी. के समक्ष अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए प्रेरित था। में।

कोई भी घटना, अवमानना कार्यवाही सहित सभी मामले

उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया; और

आई. 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना को इस कारण से दूषित नहीं किया गया था कि इसमें यह नहीं कहा गया था कि इसे नाम से जारी किया गया था।

भारत के राष्ट्रपति।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को मनमाना माना जा सकता है यदि वह इस बात में विफल रही कि ओ. ए. टी. के उपयोग को समाप्त करने से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया था, तो इस तरह के निर्णय से न्यायालय के कामकाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

B. प्रस्तुतियाँ

14. श्री अशोक पाणिग्रही और डॉ. अमन हिंगोरानी ने अपीलार्थियों की ओर से दलीलें सुनीं। उनके साथ श्री विचंद्रन अय्यर, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड शामिल हुए, जो इसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं।

एल.

एस. ए. प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v.एन ऑफ इंडिया [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

उनकी दलीलें इस प्रकार थींः

संविधान का अनुच्छेद 323-ए जनादेश की प्रकृति का है। इसके लिए केंद्र सरकार को एस. ए. टी. स्थापित करने की आवश्यकता होती है और यह केंद्र सरकार को एक बार स्थापित होने के बाद एस. ए. टी. को समाप्त करने का अधिकार नहीं देता है।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति उसी कानून से आनी चाहिए जो केंद्र सरकार को एस. ए. टी. स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति नहीं देता है। किसी भी स्थिति में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आह्वान की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए ओ. ए. टी. का उन्मूलन बिना किसी कानूनी आधार के था।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक 2006 था

एस. ए. टी. को समाप्त करने और समाप्त किए गए एस. ए. टी. से लंबित मामलों को संबंधित उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए पेश किया गया। यह विधेयक कानून में अधिनियमित नहीं किया गया था और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य

एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में राज्य सरकार की सेवा मामलों के लिए निर्णय प्रक्रिया की दक्षता को कम करने के रूप में निर्णय की व्याख्या गलत है और अनुचित;

ओ. ए. टी. में दो नियमित पीठ और दो सर्किट बेंच हैं लेकिन कटक में उच्च न्यायालय की एक ही पीठ है। ओ. ए. टी. का उन्मूलन अदालत प्रणाली को वादियों के लिए कम सुलभ बनाता है और न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन और ओ. ए. टी. के समक्ष वादियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना जिसके द्वारा ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था, अमान्य है क्योंकि इसे के नाम पर व्यक्त नहीं किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 77 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति; [2023] 6 एस. सी. आर.

एच. संविधान में किसी भी न्यायालय से किसी विशेष उच्च न्यायालय में मामलों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं की गई है, सिवाय इसके कि

संविधान का अनुच्छेद 228;

आई. राज्य सरकार ओ. ए. टी. में रिक्तियों को भरने में विफल रहने और ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए परिस्थितियां पैदा करके अपनी गलती का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। रिक्तियों को भरने में राज्य सरकार की विफलता भी एक उल्लंघन है

संविधान का अनुच्छेद 256;

जे. ओ. ए. टी. के उन्मूलन का विस्तार का प्रभाव पड़ता है

उड़ीसा उच्च न्यायालय की अधिकारिता लेकिन अकेले संसद के पास है

अधिकार क्षेत्र बनाने या बढ़ाने की शक्ति;

के. ओ. ए. टी. के उन्मूलन का वास्तविक कारण यह है कि ओडिशा में अधिकारियों को ओ. ए. टी. के समक्ष अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ा और ओ. ए. टी. को समाप्त करके इन कार्यवाही से बचने की कोशिश की। 1 . न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले;

एम. एक बार जब केंद्र सरकार ने ओ. ए. टी. की स्थापना की, तो यह बन गया

कार्य अधिकारी; और

एन. केंद्र सरकार को 2 अगस्त की अधिसूचना जारी करने से पहले इस न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए थी

2019 .

16. अपीलार्थियों की ओर से अनुरोध की गई प्रस्तुतियों को भारत संघ और ओडिशा राज्य द्वारा खारिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने संघ की ओर से निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) केंद्र सरकार को एक एस. ए. टी. प्राप्त करने पर स्थापित करने में सक्षम बनाती है।

राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध।

नतीजतन, यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि प्रासंगिक एस. ए. टी. की स्थापना, जारी रखना या समाप्त करना;

बी। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू किया जा सकता है।

एस. ए. टी. को समाप्त करने की सेवा। केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति देने के लिए न तो संविधान और न ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है; एस. ए. प्रशासनिक न्यायाधिकरण बार संगठन V.

एन ऑफ इंडिया [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

न्याय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों को स्थानांतरित कर दिया गया था।

उड़ीसा उच्च न्यायालय;

. श्री अशोक के. आर. परिजा, राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने संघ द्वारा प्रस्तुत तर्कों को पूरक बनाया

आग्रह किया किः

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं, जिनके कारण विवादित निर्णय आया, बनाए रखने योग्य नहीं थीं क्योंकि ओ. ए. टी. के उन्मूलन से याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित नहीं हुए थे। वादी ओ. ए. टी. तक पहुँचने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने इसे समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिया

ओ. ए. टी., ओ. ए. टी. द्वारा मामलों के निपटान की कम दर के आलोक में। राज्य सरकार का यह भी विचार है कि ओ. ए. टी. (मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए) का उद्देश्य एल. चंद्र कुमार मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद पूरा नहीं होता है।

(ऊपर);

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की धारा 4 में "मई" शब्द

अधिनियम असंदिग्ध है और इसकी सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।

एक अंतर-अदालत अपील एक अलग मंच पर अपील से अलग है और पहला निर्णय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई लाभ नहीं होगा।

ओ. ए. टी. को समाप्त करना; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया;

ओ. ए. टी. का उन्मूलन अदालत प्रणाली को वादियों के लिए कम सुलभ नहीं बनाता है क्योंकि उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में भाग लेने के लिए किसी भी घटना में कटक की यात्रा करने की आवश्यकता होती। ओ. ए. टी. की बेरहामपुर और संबलपुर की सर्किट पीठों से उड़ीसा उच्च न्यायालय को हस्तांतरित मामलों की संख्या क्रमशः 275 और 235 है। भुवनेश्वर में प्रधान पीठ और दूसरी ओर, कटक की नियमित पीठ में क्रमशः 11,483 और 32,911 मामले थे, जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। वादियों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को क्षतिपूर्ति योजनाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है जो इसके लिए मौजूद हैं

यह उद्देश्य; और [2023] 6 एस. सी. आर.

एफ. सरकार के लिए न्यायिक कार्य करना अनिवार्य नहीं था।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले प्रभाव मूल्यांकन परीक्षण।

स्थानांतरण की देखरेख के लिए निट्टी का गठन किया गया था, समिति ने लंबित मामलों को स्थानांतरित करने के लिए रोगविज्ञान तैयार किया, और एक समर्पित शाखा जिसे कहा जाता हैओ. ए. शाखा 'विशेष रूप से हस्तांतरण से निपटने के लिए बनाई गई थी।

ers.

ग. मुद्दे

19. ई. एस. द्वारा प्रचार की गई प्रस्तुतियों के आधार पर, निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं:

ए। क्या अपीलार्थियों द्वारा पूर्व में दायर रिट याचिकाएँ

उड़ीसा उच्च न्यायालय रखरखाव योग्य था;

बी। क्या संविधान का अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार के लिए एस. ए. टी. स्थापित करना अनिवार्य बनाता है; ग. क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में हो सकता है

ओ. ए. टी. की स्थापना की अधिसूचना को रद्द करने का आह्वान किया, जिससे ओ. ए. टी. को समाप्त करना;

डी। क्या ओ. ए. टी. का उन्मूलन मनमाना है और इसलिए

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन;

ई. क्या ओ. ए. टी. का उन्मूलन का उल्लंघन है

न्याय तक पहुँच का मौलिक अधिकार;

एफ. क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन और वादियों को ओ. ए. टी. के समक्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

समाप्त करने के निर्णय पर पहुंचने से पहले सुनने का अवसर

ओएटी;

जी. क्या 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना अमान्य है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त नहीं की गई है;

एच. क्या ओ. ए. टी. से उड़ीसा उच्च न्यायालय में मामलों के हस्तांतरण का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का प्रभाव पड़ता है

बाद वाला;

आई. क्या राज्य सरकार ने अपना फायदा उठाया

OAT में रिक्तियों को भरना बंद करना गलत है; ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v.

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

जे. क्या ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने में केंद्र सरकार की विफलता दूषित करती है

ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय; और

के. क्या केंद्र सरकार इसके बाद कार्यवाहक अधिकारी बन गई

ओ. ए. टी. की स्थापना।

D. विश्लेषण

आई. मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और तमिल के उन्मूलन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही का अवलोकन

नाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1 2

20. इस अपील के पक्षों ने कुछ अन्य एस. ए. टी. एस. के उन्मूलन से उत्पन्न निर्णयों के संबंध में कुछ तर्क दिए हैं। इसलिए इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों को समझना आवश्यक है।

उन एसएटी को समाप्त करने के लिए। इसके लिए, एम. पी. ए. टी. और टी. एन. ए. टी. के उन्मूलन के साथ-साथ उन निर्णयों से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही पर संक्षेप में चर्चा की जाती है। इस मामले में निर्णय पर इन कार्यवाही के प्रभाव की भी जांच की जाती है।

ए। एमपीएटी का उन्मूलन

21. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधिनियमन के साथ मध्य प्रदेश राज्य को मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्गठित किया गया था। इस विधान की धारा 74 (1) (ii) ने इन दोनों राज्यों की राज्य सरकारों को प्रत्येक 1 को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की। आयोग, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण, विश्वविद्यालय, बोर्ड या केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत गठित और मौजूदा मध्य प्रदेश राज्य पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला कोई अन्य निकाय।

22. मध्य प्रदेश राज्य ने राज्य के साथ अपने द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एम. पी. ए. टी. को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की।

छत्तीसगढ़। इस अधिसूचना को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 74 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी थी। 23. उच्च न्यायालय ने धारा 74 के उपखंड (1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसने अभिनिर्धारित किया कि धारा 71 के उपखंड (2) और (3) (कर्मचारियों की बर्खास्तगी और मुआवजे से संबंधित)

11 " एमपीएटी " 12 “ टीएनएटी "

क्रमशः उनके कार्यकाल की अनिश्चित अवधि) संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके एम. पी. ए. टी. को समाप्त नहीं कर सकती थी। बल्कि, केंद्र सरकार से एम. पी. ए. टी. को समाप्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध करना आवश्यक था क्योंकि एम. पी. ए. टी. की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसने माना कि केंद्र सरकार के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा

ऐसा अनुरोध करें और इस आशय की अधिसूचना जारी करें। उच्च न्यायालय ने तदनुसार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके द्वारा एम. पी. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था।

24. अपील पर, इस न्यायालय ने मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को दी गई व्याख्या को बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय। इस न्यायालय के निर्णय को एम. पी. उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के रूप में सूचित किया गया था। वी. भारत संघ (2004) 11 एस. सी. सी. 766। 1 3 13

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. ए. टी. को समाप्त किया जा सकता है या नहीं, इस पर राज्य का कोई प्रभाव नहीं है। अतः एम. पी. ए. टी. उन्मूलन मामला (उपर्युक्त) इस मुद्दे पर आधारित नहीं है कि क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) पर लागू होगी। लेकिन यह मुद्दा कि क्या एम. पी. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय मनमाना, अनुचित और इसलिए उस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने का फैसला किया गया था। वर्तमान मामले में भी ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने है और एम. पी. ए. टी. उन्मूलन मामले (उपरोक्त) में निर्णय का यह पहलू शिक्षाप्रद हो सकता है।

बी। टीएनएटी का उन्मूलन

1994 और 2004 के बीच, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से टी. एन. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद यह बंद हो गया।

टी. एन. ए. टी. के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की ओर इशारा करते हुए, जो परिणामस्वरूप निष्क्रिय हो गए थे। इस समय इसके समक्ष लगभग 30,000 मामले लंबित थे। विभिन्न पक्षों ने रिट की स्थापना की

13 " एम. पी. ए. टी. उन्मूलन मामला "ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में तमिलनाडु राज्य सरकार को टी. एन. ए. टी. में रिक्तियों को भरने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि इसे समाप्त होने तक काम करने में सक्षम बनाया जा सके। इन रिट याचिकाओं का समापन मद्रास उच्च न्यायालय के तमिलनाडु सरकार ऑल डी पार्टमेंट वॉचमैन एंड बेसिक सर्वेंट्स एसोसिएशन बनाम में निर्णय में हुआ। इन डाय 1 4 का संघ। 25. उपरोक्त मामले में अपने फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अधिसूचना को रद्द करने की शक्ति है।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत एक एस. ए. टी. को सूचीबद्ध करना। इसने यह अभिनिर्धारित करने के लिए एम. पी. ए. टी. उन्मूलन मामले (उपरोक्त) पर भरोसा किया कि यह इसके लिए खुला था राज्य सरकार एस. ए. टी. को समाप्त करने के लिए एक "नीतिगत निर्णय" लेगी और केंद्र सरकार से इसे समाप्त करने का अनुरोध करेगी। इसने आगे कहा कि बाद वाले के पास इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस आधार पर, इसने केंद्र सरकार को टी. एन. ए. टी. को समाप्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया "क्योंकि केंद्र सरकार को संसद के समक्ष संशोधन की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न्यायाधिकरण को समाप्त करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना ही पर्याप्त होगा।

टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामले (ऊपर) में निर्णय के खिलाफ दो अपीलें इस न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। पहले को किया गया था बर्खास्त

16 अगस्त 2005 के एक आदेश द्वारा सीमित। दूसरी अपील भारत संघ द्वारा दायर की गई थी। इससे पहले कि इस अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके, केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2006 को टी. एन. ए. टी. को समाप्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की। 28 मार्च 2017 को, इस न्यायालय ने ए. पी. पी. एल. को निष्फल होने के लिए खारिज कर दिया। इसने देखा कि कानून के सवाल को खुला रखा गया है।

26. टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामला (ऊपर दिया गया) इसलिए एक मिसाल नहीं है जो इस न्यायालय को बांधता है। इस न्यायालय के समक्ष अपील में टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामले (ऊपर) से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही भी ऐसा करती है।

हमारे सामने मुद्दों के गुण-दोष तय करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कानून का प्रश्न पूर्व था प्रेसली खुला रखा गया।

ii. उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएँ

बनाए रखने योग्य थे

27. ओडिशा राज्य ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित रिट याचिकाओं की स्थिरता पर सवाल उठाया है।

14 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 333-"टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामला" [2023] 6 एस. सी. आर.

न्यायालय (जिसने विवादित निर्णय दिया) इस आधार पर कि ओ. ए. टी. के उन्मूलन से याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित नहीं हुए थे।

28. अपीलकर्ता ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन, कटक और

ओडिशा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ। दोनों संघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हैं। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 पंजीकृत समितियों को मुकदमा करने और मुकदमा करने के लिए अधिकृत करती है। इसलिए दोनों अपीलार्थी ऐसे संगठन हैं जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के हकदार हैं।

29. दोनों अपीलार्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक मौजूदा कानूनी अधिकार

उनका उल्लंघन किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने गुलाम कादिर बनाम में अभिनिर्धारित किया था। विशेष न्यायाधिकरण (2002) 1 एस. सी. सी. 33, याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार का अस्तित्व, जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का आधार हैः

" 38. इस कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारों को लागू किया जा सकता है।

केवल एक व्यथित व्यक्ति द्वारा, उस मामले को छोड़कर जहां रिट

प्रार्थना बंदी प्रत्यक्षीकरण या क्वो वारंट के लिए की जाती है। एक और अपवाद

सामान्य नियम में जनहित में एक रिट याचिका दायर करना है।

याचिकाकर्ता के कानूनी अधिकार का अस्तित्व जो है

कथित रूप से उल्लंघन किया गया है जो आह्वान का आधार है

उपरोक्त अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता।

एक के लोकस स्टैंडी के संबंध में व्याख्या का रूढ़िवादी नियम

अदालत में पहुँचने वाला व्यक्ति समुद्र परिवर्तन से गुजरा है

अति-तकनीकी आधार पर। यदि कोई व्यक्ति अदालत का रुख करता है संतुष्ट कर सकते हैं कि विवादित कार्रवाई प्रतिकूल होने की संभावना है

उसके अधिकार को प्रभावित करता है जो कुछ में स्रोत के रूप में दिखाया गया है

खड़े हो जाओ। दूसरे शब्दों में, यदि व्यक्ति केवल एक नहीं पाया जाता है किसी भी पद या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखने वाले अजनबी, वह

उसके पास स्थान नहीं होने के आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता है खड़े हो जाओ "।

(जोर दिया गया)

ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

30. उड़ीसा राज्य में v. रामचंद्र देव ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 685,

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक अधिकार का अस्तित्व अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका का आधार हैः

" 8. ..... संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत,

उच्च न्यायालय निस्संदेह बहुत व्यापक है। उपयुक्त रिट हो सकते हैं

उक्त अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया, यहां तक कि उद्देश्यों के लिए भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा और उस में

अर्थ, एक पक्ष जो उच्च के विशेष अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है

अनुच्छेद 226 के तहत अदालत अवैध आक्रमण के मामलों तक ही सीमित नहीं है।

केवल अपने मौलिक अधिकारों के लिए। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय उस अर्थ में व्यापक है, निष्कर्ष

लेख के शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक रिट या एक से पहले एक पक्ष के पक्ष में उचित आदेश जारी किया जा सकता है, यह होना चाहिए

यह स्थापित किया कि पार्टी का अधिकार है और उक्त अधिकार अवैध रूप से है हमला किया या धमकी दी। एक अधिकार का अस्तित्व इस प्रकार है

अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका का आधार। "

(जोर दिया गया)

31. इस मामले में, ओडिशा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि शिकायतों के त्वरित निवारण के उसके अधिकार (न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का एक पहलू) का उल्लंघन किया गया था। ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन ओ. ए. टी. को समाप्त करने की राज्य की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ओडिशा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ में शामिल हो गया।

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन किया। यह आरोप लगाते हुए कि ओ. ए. टी. के उन्मूलन से इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के हकदार थे। शिकायत में कोई सार है या नहीं, यह एक अलग मामला है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

iii. अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार को प्रतिबंधित नहीं करता है।

एस. ए. टी. को समाप्त करने से

32. यह आकलन करने के लिए कि क्या यह केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है

एस. ए. टी. स्थापित करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए का विज्ञापन करना आवश्यक है:

" 323 ए. प्रशासनिक न्यायाधिकरण। — (1) संसद, कानून द्वारा,

के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान

भर्ती और शर्तों के संबंध में विवाद और शिकायतें

लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा

संघ या किसी राज्य या किसी [2023] एस. सी. आर. के मामलों से संबंध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के क्षेत्र के भीतर या उसके अधीन स्थानीय या अन्य प्राधिकरण

भारत सरकार या किसी निगम के स्वामित्व का नियंत्रण या सरकार द्वारा नियंत्रित।

(2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि - (क) संघ के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान या

दो या अधिक राज्यों के लिए; (ख) अधिकारिता, शक्तियों (अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित) और प्राधिकरण को निर्दिष्ट करें जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

उक्त न्यायाधिकरण;

(ग) प्रक्रिया के लिए प्रावधान (सीमा के प्रावधानों सहित)

और साक्ष्य के नियम) जिनका उक्त न्यायाधिकरणों द्वारा पालन किया जाएगा;

(घ) विवादों के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर कर देगा।

या खंड (1) में निर्दिष्ट शिकायतें; (ई) किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मामले के प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण को तुरंत हस्तांतरण का प्रावधान करें।

ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले जो

ऐसे न्यायाधिकरण की अधिकारिता के भीतर यदि कार्रवाई के कारण

जिसके बाद ऐसे मुकदमे या कार्यवाहियां उत्पन्न हुई थीं

स्थापना; (च) खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करना।

(3) अनुच्छेद 371 डी;

ऐसे आदेशों के प्रभावी संचालन और उनके द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे और उनके प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझते हैं। न्यायाधिकरण।

(3) इस अनुच्छेद के प्रावधान इस संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

उस समय लागू कानून "।

(जोर दिया गया) 33. अनुच्छेद 323 के खंड (1) और (2)-ए में "मई" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

यह कहते हुए कि अनुच्छेद 323-ए संसद को उस पर प्रभाव डालने वाला कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं करता है। संसद को ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v को अधिनियमित करने का विवेकाधिकार सौंपा गया है।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

कानून जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा कुछ विवादों के निर्णय का प्रावधान करता है। यह एक अनुमेय प्रावधान है। यह प्रावधान सुविधाजनक और सक्षम है।

34. हालांकि, कुछ मामलों में, कुछ करने की शक्ति को उस शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक परिसमापक v.

धरती धन (पी) लिमिटेड (1977) 2 एस. सी. सी. 166, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कब "हो सकता है" शब्द अपने साथ शक्ति का प्रयोग करने का दायित्व रखता है। उस शब्द द्वारा एक विशेष तरीके से प्रदान किया गयाः

" 8. इस प्रकार, ऐसे मामलों में हमेशा यह प्रश्न निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या "हो सकता है" शब्द के उपयोग द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसके साथ जुड़ी हुई है, एक दायित्व है कि कुछ कानूनी रूप से निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर, साक्ष्य द्वारा दिखाया जाना चाहिए, एक विशेष प्रकार का आदेश बनाया जाना चाहिए। यदि कानून विवेकाधिकार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है तो शक्ति का प्रयोग द्वारा इंगित तरीके से किया जाना चाहिए

अन्य कानूनी प्रावधान जो कानूनी संदर्भ प्रदान करते हैं। फिर भी तथ्यों को यह स्थापित करना चाहिए कि कानूनी शर्तें पूरी हुई हैं। यह किसी ऐसी शक्ति का प्रदान करना नहीं है जिसे "हो सकता है" शब्द प्रदान करता है।

यह इंगित करता है कि इसके अभ्यास के लिए किसी भी दायित्व को जोड़ता है लेकिन इसका कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ।

10. ऊपर दिए गए सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा जब भी यह तर्क दिया गया है कि "हो सकता है" शब्द अपने साथ किसी विशेष क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करने का दायित्व रखता है।

तरीका या दिशा। ऐसे मामले में हमेशा यही उद्देश्य होता है

शक्ति की जिसकी जाँच की जानी है ताकि

प्रदत्त विवेकाधिकार का दायरा निर्धारित करें

शक्ति से संपन्न। यदि वे स्थितियाँ जिनमें शक्ति है

विशेष मामलों में प्रयोग किया जाना भी एक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है

कानून तब, उन शर्तों की पूर्ति पर, शक्ति

प्रदान किया गया इसे प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ संलग्न हो जाता है इस तरह से "।

(जोर दिया गया)

35. धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। U.P.[1]5 की स्थिति, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है, विधायिका के इरादे को समझा जाना चाहिएः

15 (2007) 8 एससीसी 338 [2023] 6 एस. सी. आर.

" 36. ..... हमारे निर्णय में, केवल "हो सकता है" या "होगा" शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं है। यह प्रश्न कि क्या किसी क़ानून का कोई विशेष प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी सामान्य नियम को निर्धारित करके हल नहीं किया जा सकता है। इस तरह के विवाद का निर्णय विधायिका की मंशा का पता लगाकर किया जाना चाहिए न कि उस भाषा को देखकर जिसमें प्रावधान पहना गया है। और विधायी इरादे का पता लगाने के लिए, अदालत को योजना की जांच करनी चाहिए अधिनियम , उद्देश्य
और प्रावधान के अंतर्निहित उद्देश्य,

परिणाम होने की संभावना या असुविधा होने की संभावना है यदि

प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है और कई और

इस मुद्दे से संबंधित विचार "।

36. "मे" शब्द के "विल" शब्द के चरित्र को प्राप्त करने के लिए, प्रावधान या विधान (या इस मामले में, संविधान) के निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए:

ए। शक्ति प्रदान करने का कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ;

बी। शक्ति का उद्देश्य;
सी। क्या क़ानून (या संविधान) शर्तों को निर्दिष्ट करता है

जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जाना है; और

डी। विधायिका के इरादे को अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की योजना, प्रावधान का उद्देश्य और उद्देश्य, प्रावधान को एक या दूसरे तरीके से पढ़ने के परिणाम और अन्य प्रासंगिक विचारों से समझा जाता है।

यह उन कारकों की एक विस्तृत सूची नहीं है जो अदालतों को यह समझने में सहायता करेंगे कि क्या कोई प्रावधान निर्देशिका है या अनिवार्य है।

37. अनुच्छेद 323-ए उन शर्तों को निर्दिष्ट नहीं करता है जिनमें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा कुछ विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान करने वाली कानूनों को लागू करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद कुछ शर्तों को पूरा करने पर इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य थी।

38. प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को लागू करने की शक्ति के कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ को इन से समझा जा सकता है - संविधान (44 वाँ संशोधन) विधेयक, 1976 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण। वस्तुओं का कथन इंगित करता है कि वस्तु थी

" उच्च न्यायालयों में बढ़ते बकाया को कम करना और सेवा मामलों, राजस्व मामलों और कुछ ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन का तेजी से निपटान करना।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

सामाजिक आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में विशेष महत्व के अन्य मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ऐसे मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को संरक्षित करते हुए ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान करना समीचीन माना जाता है। यह है।

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में कुछ संशोधन करना भी आवश्यक है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रदान करने की शक्ति के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है, अर्थात कम करने के लिए। उच्च न्यायालयों में बकाया राशि बढ़ाना और सेवा मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 323-ए द्वारा प्रदत्त शक्ति का उद्देश्य और कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ "मई" शब्द द्वारा संसद को दिए गए विवेकाधिकार के दायरे को कम करने का प्रभाव नहीं डालता है।

सेवा मामलों का त्वरित निपटान ऐसी प्रकृति का नहीं है जिससे संसद पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान करने वाले कानून बनाने का दायित्व हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी उद्देश्य को अन्य मार्गों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 323-ए केवल कई मार्गों में से एक के रूप में कानून के अधिनियमन का प्रावधान करता है। यह संसद के लिए खुला है कि वह उच्च न्यायालयों में बकाया राशि को कम करने और सेवा मामलों के त्वरित निपटान को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीका चुन सके।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323-ए संसद को बकाया राशि को कम करने या अन्य न्यायिक तंत्र को मजबूत करने सहित किसी अन्य तरीके से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कार्रवाई का विकल्प चुनने की शक्ति से वंचित नहीं करता है। संसद का इरादा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना और उन्हें जारी रखने का आदेश देना नहीं हो सकता था। ऊपर चर्चा किए गए प्रावधान के उद्देश्य के अलावा, अनुच्छेद 323-ए की योजना में कुछ भी इंगित नहीं करता है कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। सृजन को अनिवार्य बनाने के रूप में अनुच्छेद 323-ए को पढ़ने के परिणाम प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का, बकाया राशि को कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक कार्रवाई को अपनाने की संभावना को पूर्ववत करना होगा। यह भी इंगित करता है कि संसद का आदेश देने का इरादा नहीं हो सकता था

बढ़ते बकाया के एकमात्र उपाय के रूप में या त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के एकमात्र तरीके के रूप में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना।

39. अनुच्छेद 323-ए को अनिवार्य समझने का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि यह संसद और राज्य को रोकता है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य करने के तरीके का मूल्यांकन करने से सरकारें:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए। मामलों के निपटारे की दर;

बी। निर्णयों की गुणवत्ता;

सी। एस. ए. टी. के निर्णयों को रिट में कितनी बार पलट दिया जाता है

अधिकार क्षेत्र, अपील या समीक्षा;

डी। क्या न्यायाधिकरण स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं;

ई. पदों के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता

न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों का;

एफ. क्या एस. ए. टी. वास्तव में उच्च न्यायालयों में बकाया राशि को कम करते हैं

और न्याय वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करना;

एच. वादियों के लिए लागत (मौद्रिक और अन्य)।

उड़ीसा उच्च न्यायालय इनमें से कुछ कारकों का उल्लेख करता है -

विवादित निर्णय के पैराग्राफ 70 से 75, हालांकि थोड़े अलग संदर्भ में। संसद का इरादा केंद्र या राज्य सरकारों को दक्षता का मूल्यांकन करने से रोकना नहीं हो सकता था और

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के बाद उनकी वांछनीयता।

हालांकि, अनुच्छेद 323-ए को एक अनिवार्य प्रावधान के रूप में पढ़ने का प्रभाव ठीक ऐसा करना होगा।

40. अपीलकर्ताओं ने दिलीप के बसु बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। पश्चिम बंगाल राज्य (2015) 8 एस. सी. सी. 744 का तर्क है कि केंद्र सरकार के लिए एस. ए. टी. स्थापित करना अनिवार्य है। उस में

इस मामले में, इस न्यायालय को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 की व्याख्या करने की आवश्यकता थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि राज्य सरकारें एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती हैं। सवाल यह था कि क्या "मे" शब्द को "विल" शब्द के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने राज्य मानवाधिकार आयोगों को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनके उल्लंघन को रोकने का आदेश दिया है।

और निवारण प्रदान करें। इसने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना नहीं की जाती है तो इस विधायी इरादे को नकार दिया जाएगा। इस न्यायालय ने तर्क दिया कि इसका परिणाम यह हुआ कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 ने न केवल राज्य को सम्मानित किया

राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना करने की शक्ति वाली सरकारें लेकिन उन पर ऐसा करने का कर्तव्य भी अधिरोपित करती हैं। वर्तमान मामले में, संविधान के अनुच्छेद 323-ए (यानी बकाया राशि को कम करने और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए) को लागू करने में संसद की मंशा को प्रत्येक राज्य में एस. ए. टी. की अनुपस्थिति में, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से अनिवार्य रूप से नकार नहीं दिया जाएगा।

41. हम यह भी ध्यान देते हैं कि दिलीप के बसु (ऊपर) में, यह तथ्य कि पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं के पास एक प्रभावी उपचार तक पहुंच नहीं होगी

राज्य मानवाधिकार आयोगों की अनुपस्थिति इस न्यायालय के लिए भारी थी। उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने की आवश्यकता होगी, जिसे इस न्यायालय ने नोट किया कि नई दिल्ली से दूर स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए दुर्गम साबित हो सकता है, जहां इसका मुख्यालय है। यहाँ, एस. ए. टी. की अनुपस्थिति वादियों को एक प्रभावी उपचार के बिना नहीं छोड़ती है। सेवा मामलों के निर्णय के उद्देश्य से पहले से ही नामित उच्च न्यायालय या अन्य मंच प्रत्येक राज्य में चालू हैं और एस. ए. टी. एस. की अनुपस्थिति से वादियों को उतनी असुविधा नहीं होती जितनी वे अन्यथा होतीं।

42. इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 323-ए में "मे" शब्द को "विल" शब्द के चरित्र के साथ प्रदान नहीं किया गया है। " अनुच्छेद 323-ए एक है निर्देशिका, सक्षम प्रावधान जो केंद्र सरकार को प्रदान करता है

प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विवेकाधिकार। का परिणाम यह है कि अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के बाद उसे समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है।

iv. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 की प्रयोज्यता

43. केंद्र सरकार ने सामान्य की धारा 21 को लागू किया

ओ. ए. टी. स्थापित करने वाली अधिसूचना को निरस्त करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ खंड अधिनियम पढ़ा जाता है। जनरल इरल क्लॉज एक्ट की धारा 21, जो कि निर्माण का एक नियम है, नीचे दी गई है:

" बनाने की शक्ति, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या निरस्त करने की शक्ति को शामिल करने की शक्ति। जहां, किसी अधिनियम या विनियम द्वारा, अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और समान मंजूरी और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन, इस तरह जारी की गई किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति है।

44. अपीलार्थियों का तर्क है कि केंद्र सरकार सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा नहीं ले सकती थी। ए दो चरण विश्लेषण अपीलार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर से पहले होना चाहिए।

ए। धारा 21 के लागू होने पर कोई रोक नहीं है।

प्रशासनिक आदेश के लिए सामान्य खंड अधिनियम

45. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम। सामाजिक संस्थान

कल्याण 1 6, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21

किसी अर्ध-न्यायिक आदेश या अधिसूचना को बदलने, संशोधित करने या समीक्षा करने के लिए सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक अर्ध-न्यायिक आदेश या अधिसूचना को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा करके रद्द नहीं किया जा सकता है। 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना ने 4 जुलाई 1986 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके द्वारा ओ. ए. टी. की स्थापना की गई थी। इसलिए यह 4 जुलाई 1986 की अधिसूचना है जिसने ओ. ए. टी. की स्थापना की जिसका यह निर्धारित करने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या यह एक अर्ध-न्यायिक अधिसूचना है, न कि 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना, जिसका प्रभाव ओ. ए. टी. को समाप्त करना था। यदि इसका उत्तर यह है कि ओ. ए. टी. की स्थापना का निर्णय वास्तव में एक अर्ध-न्यायिक निर्णय था, तो इस निर्णय को उलटने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक संयोग के रूप में, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना अमान्य होगी, क्योंकि यह ठीक से जारी की गई है। हालाँकि, यदि ओ. ए. टी. की स्थापना का निर्णय प्रशासनिक था, तो ओ. ए. टी. की स्थापना की अधिसूचना को रद्द करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के आह्वान पर कोई रोक नहीं होगी।

46. इस न्यायालय ने बॉम्बे प्रांत बनाम में एक अर्ध न्यायिक अधिनियम के अर्थ और रूपरेखा पर चर्चा की। खुशालदास एस. आडवाणी 1 7, जहाँ एस. आर. दास, जे. ने अपनी सहमति में कहाः

" 80.1 . ((i) यदि कोई कानून किसी प्राधिकरण को, जो सामान्य अर्थों में न्यायालय नहीं है, किसी दावे से उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने का अधिकार देता है। कानून के तहत एक पक्ष द्वारा किया गया दावा जिसका दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया जाता है और इसके संबंधित अधिकारों को निर्धारित करने के लिए

चुनाव लड़ने वाले दल जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वहाँ एक लिस है

और प्रथम दृष्टया और इसके विपरीत कानून में कुछ भी नहीं होने पर प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह न्यायिक रूप से कार्य करे और

प्राधिकरण का निर्णय एक अर्ध-न्यायिक अधिनियम है; और

80.2 . ((ख) यदि किसी सांविधिक प्राधिकारी के पास कोई ऐसा कार्य करने की शक्ति है जो विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो यद्यपि प्राधिकरण के अलावा दो पक्ष नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम को करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकारी और इसका विरोध करने वाले विषय के बीच है, प्राधिकरण का अंतिम निर्धारण अभी भी एक अर्ध-न्यायिक होगा।

अधिनियम बशर्ते कि कानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता हो। 81. दूसरे शब्दों में,

जबकि निर्णायक प्राधिकारी के अलावा दो पक्षों की उपस्थिति प्रथम दृष्टया और किसी अन्य की अनुपस्थिति में होगी।

16 (2002) 5 एस. सी. सी. 685

17 (1950) एस. सी. सी. 551 आर. आई. एस. एस. ए. प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v.निऑन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

प्राधिकारी पर न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित करने वाला कारक, ऐसे दो पक्षों की अनुपस्थिति प्राधिकरण के कार्य को अर्ध-न्यायिक अधिनियम की श्रेणी से बाहर निकालने में निर्णायक नहीं है यदि प्राधिकरण को फिर भी क़ानून द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

47. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

" 29 ..... एक अन्य परीक्षण जो प्रशासनिक कार्य को अलग करता है अर्ध-न्यायिक कार्य से, वह प्राधिकरण है जो अर्ध कार्य करता है

न्यायिक रूप से नियमों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है, जबकि

प्राधिकरण जो प्रशासनिक रूप से कार्य करता है, नीति द्वारा निर्धारित किया जाता है और

सुगमता "।

48. बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाम।

श्याम दास गुप्ता 1 8, इस न्यायालय ने इस बात की व्याख्या की जब एक प्राधिकारी ने न्यायिक रूप से कार्य करने का अनुरोध कियाः

" 8. ..... अब यह उल्लेख किया जा सकता है कि क़ानून के इतने शब्दों में प्रदान करने की संभावना नहीं है कि आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी है न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है; कि केवल प्रत्येक मामले में पहली बार में क़ानून के स्पष्ट प्रावधानों से अनुमान लगाया जा सकता है और नहीं

केवल एक परिस्थिति ही प्रश्न का निर्धारण करेगी।

कानून द्वारा स्थापित प्राधिकारी का कर्तव्य न्यायिक रूप से कार्य करना है या नहीं। यह निष्कर्ष कि क्या किसी कानून के तहत कार्य करने वाले प्राधिकरण का कर्तव्य न्यायिक रूप से कार्य करना है, प्रकृति के साथ पठित कानून के स्पष्ट प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

ए। किसी प्राधिकारी का निर्णय प्रथम दृष्टया होता है, और किसी अन्य कारक के अभाव में, एक अर्ध-न्यायिक अधिनियम जब उसके समक्ष एक एल. आई. एस. होता है, जिसमें दो पक्ष प्रतिस्पर्धी दावों के साथ होते हैं; बी। जब प्राधिकरण के पास कुछ ऐसा करने की शक्ति होती है जो विषय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो वह जो निर्णय लेता है वह एक अर्ध न्यायिक अधिनियम है, भले ही एक एल. आई. एस. और प्रतिस्पर्धी दावों वाले दो पक्षों की अनुपस्थिति में, जब कानून द्वारा विचाराधीन प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। कानून के स्पष्ट प्रावधान,

प्रभावित अधिकार की प्रकृति, निपटान का तरीका, एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेते समय अपनाया जाने वाला वस्तुनिष्ठ मानदंड (यदि कोई हो), निर्णय का प्रभाव और क़ानून के अन्य संकेतों पर यह मूल्यांकन करते समय विचार किया जा सकता है कि क्या न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य है; और

सी। किसी प्राधिकारी का निर्णय अर्ध-न्यायिक होता है जब वह नियमों के अनुसार किया जाता है। निर्णय प्रशासनिक होता है जब यह नीति और समीचीनता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

50. उपरोक्त सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद, यह महसूस किया जाना चाहिए कि अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक अधिनियमों के बीच का अंतर हमेशा अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है और इसका अनुप्रयोग हमेशा निश्चित नहीं होता है। सिद्धांत और अभ्यास जरूरी नहीं कि खुश भागीदार हों। तत्काल मामले में स्पष्ट रूप से एक एल. आई. एस. या दो पक्ष शामिल नहीं हैं जिनके प्रतिस्पर्धी दावे एक प्राधिकरण के सामने पेश होते हैं जो उनके संबंधित अधिकारों का निर्धारण करेगा। इसके अलावा, ओ. ए. टी. की स्थापना करने वाले केंद्र सरकार के अधिनियम ने इस विषय को किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया। वादियों या अन्य नागरिकों को एक मंच के बिना नहीं छोड़ा गया था। जब ओ. ए. टी. पहली बार स्थापित किया गया था, तब वे उड़ीसा उच्च न्यायालय के बजाय ओ. ए. टी. के समक्ष अपने उपचार जारी रख सकते थे।

51. केंद्र सरकार ओ. ए. टी. की स्थापना के समय न्यायिक क्षमता में कार्य नहीं कर रही थी। ओ. ए. टी. की स्थापना पर, लंबित उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों को ओ. ए. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया। वास्तव में, एस. ए. टी. स्थापित करने का निर्णय नीति और समीचीनता पर आधारित होता है। यह ऊपर है।

प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य के भीतर एक एस. ए. टी. की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए, एक एस. ए. टी. की स्थापना के लाभ और नुकसान के साथ-साथ वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करने के लिए। केंद्र सरकार तब प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के संदर्भ में अनुरोध प्राप्त करने पर एस. ए. टी. की स्थापना कर सकती है।

एस. ए. टी. स्थापित करने का निर्णय निस्संदेह एक प्रशासनिक निर्णय है। अर्ध-न्यायिक निर्णयों के विपरीत, प्रशासनिक निर्णयों को उलट दिया जा सकता है।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अनुप्रयोग द्वारा। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 की प्रयोज्यता वर्तमान मामले में बहिष्कृत नहीं है।

52. औद्योगिक अवसंरचना पर अपीलार्थियों की निर्भरता

विकास निगम। (ग्वालियर) एम. पी. लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. 1 9 इसी तरह के कारणों से गलत स्थान पर है। उस मामले में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 थी

19 (2018) 4 एस. सी. सी. 494 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

आदेश को लागू नहीं पाया गया क्योंकि यह एक अर्ध-न्यायिक आदेश था। ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, ओ. ए. टी. की स्थापना का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। 53. हम स्पष्ट करते हैं कि अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों के बीच के अंतर को निर्धारित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है

क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को एस. ए. टी. स्थापित करने के निर्णय को उलटने के लिए लागू किया जा सकता है। प्रशासनिक आदेश कानून के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं।

बी। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 अन्यथा लागू होती है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम को केबल

यह वर्तमान मामले में लागू होता है। इस विषय पर लोकस क्लासिकस राज्य है। बिहार का बनाम। डी. एन. गांगुली20, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह धारा निर्माण के एक नियम का प्रतीक है और यह सवाल कि क्या यह किसी विशेष क़ानून के प्रावधानों पर लागू होता है या नहीं, विषय वस्तु, संदर्भ और उक्त क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव पर निर्भर करेगा। दूसरे शब्दों में, यह निर्णय लेने से पहले अधिनियम की योजना, इसके उद्देश्य और इसके सभी प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक होगा कि क्या धारा 21 द्वारा प्रतिपादित निर्माण के नियम को लागू करके, अपीलार्थी का तर्क उचित है कि धारा 10 (1) के तहत किए गए संदर्भ को रद्द करने की शक्ति को उचित में निहित कहा जा सकता है।

आवश्यक निहितार्थ द्वारा सरकार। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ और प्रभाव प्रतिकूल है

निर्माण के उक्त नियम को लागू करने के लिए, अपीलार्थी उक्त धारा की सहायता का आह्वान करने का हकदार नहीं होगा। इसलिए, हमें प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

स्वयं अधिनियम का "।

55. कमला प्रसाद खेतान बनाम। भारत संघ 2 1, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः

" 10. ..... सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 निर्माण के एक नियम का प्रतीक है और उस नियम का संदर्भ संदर्भ में होना चाहिए।

20 1959 एससीआर 1191

और विषय-वस्तु उस विशेष क़ानून का विषय है जिसके लिए यह किया जा रहा है

लागू किया "

लागू होता है। 57. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की योजना का संक्षिप्त विश्लेषण नीचे किया गया हैः

ए। धारा 4 केंद्र सरकार को संबंधित से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर एक एस. ए. टी. स्थापित करने में सक्षम बनाती है।

राज्य सरकार;

बी। धारा 5 में एस. ए. टी. की संरचना का प्रावधान है। धारा 8 और 10 बी अध्यक्ष के पद की अवधि निर्धारित करती है और

सदस्यों को;

सी। धारा 15 एस. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करती है। डी। अध्याय IV से पहले पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है

न्यायाधिकरण के साथ-साथ उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ; और

ई. धारा 29 में प्रावधान है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की तारीख से तुरंत पहले किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक मुकदमा या कार्यवाही जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होती यदि ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में कार्रवाई का कारण न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ होता, स्थानांतरित हो जाता है।

न्यायाधिकरण को उसकी स्थापना की तारीख को।

58. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में एस. ए. टी. को समाप्त करने के लिए कोई प्रावधान और संबंधित प्रक्रिया शामिल नहीं है।

स्थापित किया गया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार स्थापित होने के बाद एस. ए. टी. का उन्मूलन अस्वीकार्य है। सबसे पहले, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त करने पर एस. ए. टी. को समाप्त करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। दूसरा, कानून की योजना में कुछ भी यह नहीं दर्शाता है या सुझाव नहीं देता है कि इस तरह का उन्मूलन प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ असंगत होगा। इसके विपरीत, यदि संबंधित राज्य सरकार का विचार है कि एस. ए. टी. ओ. आर. आई. एस. ए. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम या इसे पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग

एस. ए. टी. के संचालन के समान उद्देश्य बेहतर हैं, यह अपने विचार पर कार्य करने और केंद्र सरकार से एस. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है। अ. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने की पूर्व शर्त नहीं है।

वादियों। एस. ए. टी. को समाप्त करने से यह उद्देश्य विफल नहीं होगा क्योंकि एस. ए. टी. एकमात्र तरीका नहीं है जिसके द्वारा वस्तु को समाप्त किया जा सकता है। हासिल किया। इसके अलावा, इस तरह के उन्मूलन का प्रभाव वादियों को किसी उपाय से वंचित करना नहीं होगा क्योंकि एस. ए. टी. के समक्ष मामले कायम रहेंगे।

उस मंच में पुनर्जीवित किया गया जिसमें वे उस एस. ए. टी. की स्थापना से पहले लंबित थे। विषय वस्तु और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का संदर्भ भी सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू करने के खिलाफ नहीं है। इसलिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के अनुप्रयोग के प्रतिकूल हो। संबंधित राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार को अपने राज्य में एस. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध जारी करने की निहित शक्ति है। बदले में केंद्र सरकार के पास निहित शक्ति है

उस अधिसूचना को निरस्त करें जिसके द्वारा उस SAT की स्थापना की गई थी, जिससे SAT को समाप्त कर दिया गया था।

60. अपीलार्थियों ने एच. पी. बनाम के उपराज्यपाल मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। अविनाश शर्मा 22 और स्टेट ऑफ एम. पी. v. अजय

सिंह 2 3 उनके मामले का समर्थन करने के लिए। अविनाश शर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा भूमि पर कब्जा करने के बाद

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) के तहत अधिसूचना, भूमि सरकार के पास निहित है और अधिसूचना को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना को वापस नहीं लिया जा सका, एक बार जब भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। वर्तमान मामला भूमि अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, जिससे अविनाश शर्मा (ऊपर) में निर्णय प्रश्न के लिए अप्रासंगिक हो जाता है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 48 में अधिग्रहण से निकासी को नियंत्रित करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान था और इसलिए वैधानिक प्रावधान में निहित शर्तों को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लेकर समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह योजना

22 (1970) 2 एससीसी 149 23 (1993) 1 एस. सी. सी. 303 [2023] 6 एस. सी. आर.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की योजना अलग-अलग हैं और प्रत्येक की योजना और संदर्भ अलग-अलग हैं। अधिनियमन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

61. अजय सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में सन्निहित निर्माण जांच आयोग अधिनियम 1952 के प्रावधानों पर लागू नहीं होता था क्योंकि इसके प्रावधानों का विषय, संदर्भ और प्रभाव धारा 21 के लागू होने के साथ असंगत था। उस मामले में, मध्य प्रदेश राज्य ने अपने क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुए सार्वजनिक महत्व के मुद्दे की जांच करने के लिए एक एकल-सदस्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। बाद में इसने एकल सदस्य को बदलकर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। अजय सिंह (ऊपर) में सवाल यह था कि क्या राज्य सरकार सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा कर सकती है।

उस अधिसूचना को निरस्त करें जिसके द्वारा उसने पहली बार में सदस्य की नियुक्ति की थी। 62. इस न्यायालय ने नकारात्मक जवाब दिया क्योंकि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 में किसी भी मामले को भरने की शक्ति प्रदान की गई थी।

जबकि धारा 7 में केवल ऐसी स्थिति का प्रावधान किया गया है जिसमें पहले से गठित आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस न्यायालय ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम 1952 आयोग के पुनर्गठन या उसके सदस्यों को बदलने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अधिनियमन की योजना और इसके संदर्भ ने संकेत दिया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि उपयुक्त सरकार को बीच में ही आयोग का पुनर्गठन करने की अनुमति दी जाती है तो जांच आयोग अधिनियम 1952 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

वह कार्य जिसे पूरा करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि इसने सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी का अस्तित्व संभव बना दिया था। वर्तमान मामले में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के लागू होने में ऐसी कोई बाधा नहीं है। यदि एक एस. ए. टी. बनाया जाता है और फिर समाप्त कर दिया जाता है तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का उद्देश्य निराश नहीं होगा। एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें वैकल्पिक मार्ग अपना सकती हैं (जिनमें से कुछ पहले से ही परिचालन में हैं, जो एस. ए. टी. के पूरक हैं)। इसलिए, अजय सिंह (ऊपर) का निर्णय अपीलार्थियों के मामले में सहायता नहीं करता है।

63. अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि एस. ए. टी. को समाप्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति उसी कानून से आनी चाहिए जो इसे निहित करता है।

उन्हें स्थापित करने की शक्ति के साथ। यह उनका तर्क है कि संघ

सरकार के पास एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति नहीं है क्योंकि ओ. आर. आई. एस. ए. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v.

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। यह तर्क इस साधारण कारण से विफल हो जाता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का उद्देश्य तत्काल मामले जैसी आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करना है।

जब विचाराधीन कानून स्पष्ट रूप से जारी की गई अधिसूचना (या आदेश, नियम, या कानून द्वारा) में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। बेशक, धारा 21 का अनुप्रयोग

सामान्य खंड अधिनियम डी. एन. गांगुली (उपर्युक्त) में निर्धारित परीक्षण के साथ-साथ प्रावधान में उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं के अधीन है। 64. यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को अनुचित माना जाएगा। यह नहीं होगा।

किसी भी कानून पर लागू होता है जो स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान नहीं करता है

अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को जोड़ें, उनमें संशोधन करें, उनमें परिवर्तन करें या उन्हें रद्द करें। दूसरी ओर, यदि कानून स्वयं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उप-कानूनों को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह एक कल्पनीय स्थिति नहीं है क्योंकि अदालतों को कानूनों की व्याख्या करनी चाहिए ताकि उन्हें व्यर्थ बनाने के बजाय उनके प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। 24 65. अपीलकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, न तो संविधान का अनुच्छेद 323-ए और न ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम

एस. ए. टी. के उन्मूलन को प्रतिबंधित करना। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को "सीधे" समाप्त करने से रोका गया है और उसने इस तरह के प्रतिबंध से बचने और "अप्रत्यक्ष रूप से" ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का सहारा लिया है। ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर केंद्र सरकार की निर्भरता कानूनी रूप से स्वीकार्य है।

66. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक 2006 को संसद में पेश किया गया था ताकि

एस. ए. टी. को समाप्त करने और लंबित मामलों को समाप्त एस. ए. टी. से संबंधित उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए प्रावधान को सक्षम करना। इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा की स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 5 दिसंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि एस. ए. टी. को समाप्त करने की शक्ति कार्यपालिका को नहीं दी जानी चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि केंद्र सरकार के पास एसएटी को समाप्त करने की शक्ति नहीं है क्योंकि यह विधेयक अधिनियमित नहीं किया गया था

24 एम. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा (1961) 2 एससीआर 295 [2023] 6 एस. सी. आर.

स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कारण कानून में।

68. अपीलार्थियों ने इसी तर्ज पर एक और तर्क दिया है। यह उनका मामला है कि टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार के रुख को इस न्यायालय के फैसले को प्रभावित करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार के पास यह करने की शक्ति है एस. ए. टी. स्थापित करने वाली अधिसूचना को रद्द करें। केंद्र सरकार का रुख टी. एन. ए. टी. उन्मूलन मामले (ऊपर) के पैराग्राफ 4 में दर्ज किया गया थाः

" 4. दूसरी ओर, केंद्र सरकार द्वारा लिया गया रुख, जो इसमें पहला प्रतिवादी है, यह है कि हालांकि तमिलनाडु सरकार ने उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है,

यह अधिसूचना के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त

इस प्रस्ताव के लिए कानून संसद में लाया जाना है और कानून विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है, जिसे उचित प्रक्रिया और अनुमोदन के बाद संसद के समक्ष लाया जाएगा।

संसद, इस मामले में केवल केंद्र सरकार की अधिसूचना पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 74 विशेष रूप से अधिसूचना के माध्यम से उन्मूलन का प्रावधान करेगी। लेकिन, इस राज्य में ऐसा प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसलिए, उपयुक्त संसदीय संशोधन

इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम आवश्यक है। इसके लिए केंद्र द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

सरकार "।

69. किसी अन्य मामले में या उस मामले में अदालत के समक्ष कानून के प्रश्न पर केंद्र सरकार का रुख, किसी भी पक्ष की स्थिति

कानून का सवाल, इस न्यायालय को कानून की व्याख्या करने से नहीं रोकता है। ज़ाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य 25, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें हममें से एक, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. एक हिस्सा थे) ने निर्णय दियाः

25 (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1092 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

" 36. ..... एक प्रस्तुति जो कानून के प्रश्न पर की जाती है

किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील (इस मामले में, राज्य) उस पक्ष को बाध्य नहीं कर सकता है या उस मामले के लिए, इस न्यायालय को सही तरीके से रोक सकता है।

कानून की व्याख्या करना। "

70. इस मोड़ पर, हम स्थानांतरण के संबंध में अपीलार्थियों द्वारा रखे गए तीन परस्पर संबंधित तर्कों पर भी विचार कर सकते हैं - निरस्त ओ. ए. टी. से उड़ीसा उच्च न्यायालय तक के मामलेः

भारत का संविधान (अनुच्छेद 323-ए सहित)

ए।

अनुच्छेद 228 के संदर्भों को छोड़कर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से किसी विशेष उच्च न्यायालय में मामलों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं की गई है।

संविधान;

जबकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है

बी।

उच्च न्यायालयों (या अन्य न्यायालयों और प्राधिकरणों) से संबंधित एस. ए. टी. को मामलों के हस्तांतरण के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो समाप्त किए गए एस. ए. टी. से मामलों को उस मंच पर वापस स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है जिसमें उनकी सुनवाई की जाती, यदि एस. ए. टी. की स्थापना के लिए नहीं होती; और

ओ. ए. टी. के उन्मूलन का विस्तार का प्रभाव पड़ता है

सी.

उड़ीसा उच्च न्यायालय की अधिकारिता लेकिन अकेले संसद के पास अधिकार क्षेत्र बनाने या बढ़ाने की शक्ति है। रिलायंस को ए. आर. अंतुले बनाम पर रखा गया है। आर. एस. नायक (1988) 2 एससीसी 602।

71. तीन तर्कों का जवाब यह है कि ओ. ए. टी. से उड़ीसा उच्च न्यायालय में मामलों का हस्तांतरण, ठीक से वर्णित है, बाद के अधिकार क्षेत्र का पुनरुद्धार है। हम विवादित फैसले से सहमत हैं।

कि ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ओ. ए. टी. के उन्मूलन द्वारा नहीं बनाया जा रहा है या बढ़ाया नहीं जा रहा है। यह पहले इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था और केवल उसी विषय पर अपने अधिकार क्षेत्र को फिर से शुरू कर रहा है। यही कारण है कि ए. आर. अंतुले (ऊपर) में निर्णय के तथ्यों पर लागू नहीं होता है

वर्तमान मामला।

72. केंद्र सरकार द्वारा ओ. ए. टी. स्थापित करने की अधिसूचना को रद्द करने का स्वाभाविक परिणाम यथास्थिति को बहाल करना होगा।

पहले से। संविधान के अनुच्छेद 323-ए या [2023] 6 एस. सी. आर. में कुछ भी नहीं है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम इस तरह के पुनरुद्धार को रोकता है। इसके अलावा, संविधान में एक प्रावधान का अभाव जो स्पष्ट रूप से पुनरुद्धार की अनुमति देता है, इस तरह के पुनरुद्धार में बाधा के रूप में कार्य नहीं करता है। ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, हम मानते हैं कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर केंद्र सरकार की निर्भरता कानून के अनुसार है।

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना का उल्लंघन नहीं है।

वी.

संविधान का अनुच्छेद 14

ए। 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना आई. आर. पर आधारित नहीं है।

प्रासंगिक या बाहरी विचार

73. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि 2 अगस्त की अधिसूचना

2019 यह एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय की गलत समझ पर आधारित है और मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

74. यह सिद्धांत कि अनुच्छेद 14 मनमानेपन पर प्रहार करता है और कि

राज्य द्वारा मनमाना कार्रवाई समानता की मौलिक गारंटी का उल्लंघन करती है जिसे ई. पी. में निर्णय के बाद से एक बुनियादी अभिधारणा के रूप में मान्यता दी गई है। रोयप्पा बनाम। T.N.26 की स्थितिः

" 85. ..... समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानेपन शपथ दुश्मन हैं; एक कानून के शासन से संबंधित है

एक गणराज्य जबकि दूसरा, एक निरपेक्ष की सनक और सनक के लिए

सम्राट। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि राजनीतिक तर्क और संवैधानिक दोनों के अनुसार असमान है

कानून और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और

16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर हड़ताल करें और निष्पक्षता सुनिश्चित करें और

उपचार की समानता। वे चाहते हैं कि राज्य की कार्रवाई होनी चाहिए सभी के लिए समान रूप से लागू वैध प्रासंगिक सिद्धांतों पर आधारित

इसी तरह स्थित और यह किसी भी बाहरी द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए

या अप्रासंगिक विचार क्योंकि यह इनकार होगा

समानता "।

(जोर दिया गया)

इसलिए राज्य सरकार का ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय होगा।

यह समझने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या कोई

निर्णय में बाहरी या अप्रासंगिक विचार शामिल किए गए।

75. वाक्यांश 'मनमाना' अक्सर के साथ पर्यायवाची रूप से उपयोग किया जाता है

वाक्यांश 'अनुचित'। यह परीक्षण कि क्या कोई कार्रवाई उचित है

26 (1974) 4 एस. सी. सी. 3 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस, लिमिटेड v में अपील न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था। वेड्सबरी निगम 2 7:

" यह सच है कि विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? ..... उदाहरण के लिए, विवेक के साथ सौंपे गए व्यक्ति को, कहने के लिए, कानून में खुद को ठीक से निर्देशित करना चाहिए। उसे उन मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है। उसे उन मामलों को अपने विचार से बाहर करना चाहिए जो उस पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक हैं। अगर वह नहीं मानता है

उन नियमों के बारे में, उन्हें वास्तव में कहा जा सकता है, और अक्सर कहा जाता है कि वे "अनुचित तरीके से" काम कर रहे हैं। इसी तरह, कुछ ऐसा हो सकता है जो इतना बेतुका हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं देख सकता कि यह प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर है।

इस न्यायालय ने वेड्सबरी निगम में निर्धारित परीक्षण के आधार पर कार्यकारी कार्रवाई की वैधता का लगातार आकलन किया है।

(उपर्युक्त), जिसमें जी. बी. महाजन बनाम. जलगाँव नगर परिषद 28, टाटा सेल्युलर बनाम। भारत संघ 2 9, पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम।

भारत संघ 3 0 30 और भारत संघ बनाम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार Co.[31] 31।

76. ओ. ए. टी. को समाप्त करने के राज्य सरकार के फैसले के कारणों को 'ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उन्मूलन' विषय के साथ 'तर्क का संकेत देने वाला एक नोट' शीर्षक वाले दस्तावेज़ में दर्ज किया गया है। यह नोट ओडिशा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया गया था और 16 सितंबर 2015 का है। नोट के प्रासंगिक भागों को नीचे निकाला गया है:

" 1. पृष्ठभूमि

ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ओ. ए. टी.) की स्थापना 14 जुलाई, 1986 को ओडिशा सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी। अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के समान होना था। आवेदकों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता से मुक्त किया जाना था। उच्च न्यायालय के बदले में पीड़ित सरकारी कर्मचारी न्यायाधिकरण में जा सकते थे और वहाँ से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक।

27 [1948] 1 के. बी. 223

28 (1991) 3 एस. सी. सी 91 29 (1994) 6 एस. सी. सी. 651

30 (1999) 4 एस. सी. सी. 727

31 (2003) 5 एससीसी 437 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय (18 मार्च, 1997)

कुमार (1997) अधिनियम का प्रावधान जो पीड़ित पक्षों को हो सकता है न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील

असंवैधानिक ठहराया गया था। यह माना गया था कि पार्टियों

न्यायाधिकरण के आदेशों से व्यथित लोग संपर्क कर सकते हैं

उच्चतम न्यायालय जाने से पहले उच्च न्यायालय।

3. उच्चतम न्यायालय के फैसले का प्रभाव

उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण की स्थापना का उद्देश्य तेजी से देना है

सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय विफल हो गया और कई

राज्यों ने महसूस किया कि न्यायाधिकरण का अस्तित्व व्यर्थ हो गया था।

(जोर दिया गया)

राज्य सरकार ने इस नोट को 16 तारीख के अपने पत्र के साथ संलग्न किया है।

एम्बर 2015 केंद्र सरकार से इसे समाप्त करने का अनुरोध करते हुए

पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

ओडिशा में 14.07.1986 के बाद से काम कर रहा है। ओडिशा सरकार है इस दृष्टिकोण से कि न्यायाधिकरण अपना मूल कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं है

उद्देश्य, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने के बाद

यह निर्णय, एक राज्य होने का बहुत उद्देश्य है त्वरित निवारण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.)

राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतें नहीं हैं

सर्वोच्च न्यायालय में जाने से पहले माननीय उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय के लिए।

ओडिशा सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है

भारत सरकार से ओडिशा को समाप्त करने की सिफारिश करना।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अपनाए गए तर्क का संकेत देने वाला एक नोट

इस निर्णय पर पहुंचने में राज्य सरकार द्वारा संलग्न है इसके साथ आपके तैयार संदर्भ के लिए "।

(जोर दिया गया)

77. इसी तरह के कारण विभिन्न अन्य दस्तावेजों में दर्ज किए गए हैं।

राज्य सरकार जो ओ. ए. टी. के उन्मूलन से संबंधित है।

ओरिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन V. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक वैकल्पिक मंच बनाने की दृष्टि से ओ. ए. टी. की स्थापना करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने मुकदमेबाजी की एक ऐसी संरचना की परिकल्पना की है जिसके तहत अपील की जा सकती है

ओ. ए. टी. से सीधे उच्चतम न्यायालय को निहित होगा, और उच्च न्यायालय को पहली बार के न्यायालय के साथ-साथ अपील के मंच के रूप में भी बाहर कर देगा। राज्य सरकार के विचार में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत मुकदमे की संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि विवाद मुकदमेबाजी के अधिकतम दो स्तरों में शांत हो। हालांकि, एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी के तीन स्तरों का निर्माण हुआ-पहले, ओ. ए. टी. के समक्ष, उसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राय थी कि मुकदमेबाजी के अतिरिक्त स्तर को देखते हुए "शिकायतों का त्वरित निवारण" अब संभव नहीं था। यह राय थी कि ओ. ए. टी. की स्थापना का कारण अब नहीं बचा है।

78. अपीलार्थियों का तर्क है कि राज्य सरकार ने एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय की गलत व्याख्या की है। यह उनका निवेदन है कि मुकदमेबाजी के स्तरों की संख्या वही रहती है, भले ही ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया हो और इसलिए ओ. ए. टी. को समाप्त करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। पक्षकारों द्वारा पहली बार में ओ. ए. टी. के समक्ष मामला दर्ज करने और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने और विशेष अनुमति देने के बजाय

उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 136 के तहत याचिका, वे सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला स्थापित करेंगे। इसकी सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और पक्षों के पास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष एक रिट अपील और इस न्यायालय के समक्ष एक और चुनौती का उपाय होगा। इसलिए मुकदमेबाजी के तीन स्तर हैं, चाहे वह किसी भी मंच पर हो जिसमें कार्यवाही की जाती है। अपीलकर्ताओं का यह भी तर्क है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय पर स्वयं बड़ी संख्या में लंबित मामलों का बोझ है और इसके कार्यभार में वृद्धि के परिणामस्वरूप मामलों के निपटारे में दक्षता नहीं आएगी। 79. यह राज्य सरकार का मामला नहीं था कि वह एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय के परिणामस्वरूप ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए बाध्य थी या ओ. ए. टी. के उन्मूलन के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी के कम स्तर होंगे। बल्कि, राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. की स्थापना के साथ प्राप्त करने के उद्देश्य पर एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों सहित न्यायाधिकरण, [2023] 6 एस. सी. आर.

इसे किसी भी कारण से स्थापित किया जा सकता है। वे सभी कारण जिनका संभवतः या सैद्धांतिक रूप से राज्य सरकार पर प्रभाव पड़ सकता था। ओ. ए. टी. स्थापित करने का निर्णय प्रासंगिक नहीं है। ओ. ए. टी. की स्थापना के लिए केवल राज्य सरकार का वास्तविक कारण इस बात पर विचार करने में प्रासंगिक है कि क्या उसने एल. चंद्र कुमार के मामले की गलत व्याख्या की है।

(ऊपर)। ओ. ए. टी. की स्थापना का राज्य सरकार का कारण त्वरित न्याय प्राप्त करना था। एक महत्वपूर्ण कारक (उसके दिमाग में) मुकदमेबाजी के एक स्तर का उन्मूलन था। राज्य सरकार की राय थी कि ओ. ए. टी. के निर्माण से शीघ्र निवारण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा

शिकायतों की संख्या क्योंकि मुकदमेबाजी के एक स्तर को समाप्त करने के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ था।

80. जहां तक इस दलील का संबंध है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय की विचाराधीनता

यदि ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित मामलों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार अपनी न्याय वितरण प्रणालियों की संरचना करने की हकदार है।

कानून द्वारा परिभाषित मापदंडों के भीतर। इसके निर्णय को तभी दरकिनार किया जा सकता है जब यह असंवैधानिक हो या कानून के अधिकार के बिना हो।

81. एल. चंद्र कुमार में निर्णय के प्रभाव के अलावा

(ऊपर), राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. के कामकाज से संबंधित अन्य कारकों पर विचार किया। 16 सितंबर 2015 के नोट में राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने फैसले के लिए अन्य कारण प्रस्तुत किए:

" सरकार एक महत्वपूर्ण राशि खर्च कर रही है ओ. ए. टी. जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1: ओ. ए. टी. के लिए योजना और गैर-योजना प्रावधान (लाख में रु.)

व्यय का शीर्ष

2015-16

2014-15

200

205.59

योजना बनाएँ

697.69

616.24

गैर-योजना

कुल

821.83

897.69

निम्नलिखित तालिका जनवरी 2014 से दिसंबर तक ओ. ए. टी. माह्वार में ओ. ए. और एम. पी. मामलों की संस्था और निपटान का प्रतिनिधित्व करती है।

2014 :

आर. आई. एस. ए. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन वी.निऑन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

तालिका 2: वर्ष 2014 के लिए मामलों की संस्था, निपटान, विचाराधीनता

संस्थापित निपटान

पेन्डेंसी में

ले जाया गया।

एस. आई. महीना

महीने का अंत

आगे बढ़ें।

इस दौरान

नहीं।

इस दौरान

महीना

महीना

OA माइस OA माइस OA माइस

वि

विध

ओए

केस केस केस केस

मामला

मामला

माम

ला

6

8

5

?

9

1

0

2

3

286691915

1

↓ जनवरी, 14 28712 18907 747

337

790 93

28797

19383

फरवरी, 14

28669 19151 671

2

359

543 127

28929

19767

मार्च, 14

28797 19383 774

642 167

551

3

28929 19767 117

28885 |

19910

अप्रैल, 14

4

28820

20134

718 718 82

मई, 14

28885 19910 653

306

5

जून, 14

28820 20134 426

6

393 63

288532022

6

155

जुलाई, 14

28853

20226 687 562

290982065

6

7

442 132

29628

20988

8

अगस्त, 14

29098

20656 832 474 302 142

सितंबर, 14

29628

209881173

486

552 99

302492137

5

9

10 अक्टूबर, 14 30249 21375 531

30410

21602

271 370 44

386 468 134

11 नवंबर, 14,30410 21602 908

30850

21854

742 436 126

12 दिसंबर, 14 30850 21854 1141

31820

22514

896048636117 | 1300

कुल

तालिका 2 से पता चलता है कि 47,619 मामले लंबित थे।

2014 की शुरुआत। वर्ष 2014 के दौरान 7417 मामले सामने आए।

निपटाया गया जबकि 13,823 नए मामले दर्ज किए गए। में।

वर्ष 2014 के अंत में, लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई

54,334 ..... एक संस्थागत तंत्र के रूप में ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण ने त्वरित निर्णय देने में सक्षम नहीं थे।

(मूल में जोर)

इसलिए राज्य सरकार न केवल इसके बारे में चिंतित थी

उड़ीसा उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी का अंतिम स्तर, लेकिन ओ. ए. टी. के संचालन के लिए किए गए खर्च के साथ-साथ उस दर के साथ जिस पर

मामलों का निपटारा करना। ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए राजी किया गया था क्योंकि

इन सभी कारकों का संयोजन।

82. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए। ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय पर पहुँचते समय, राज्य सरकार ने प्रासंगिक कारणों पर विचार किया। इसने विचार किया कि क्या ओ. ए. टी. उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम था

जिसे एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में निर्णय के बाद स्थापित किया गया था। इसने ओ. ए. टी. के संचालन के लिए किए गए खर्च के साथ-साथ मामलों के निपटान की दर को संतुलन में रखा। ये कारण इस निर्णय के लिए अप्रासंगिक नहीं थे कि क्या एक न्यायाधिकरण को जारी रखा जाना चाहिए;

बी। उड़ीसा उच्च न्यायालय से परामर्श करने का राज्य सरकार का कार्य

न्यायालय (संघ से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर) सरकार) ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले अप्रासंगिक या बाहरी नहीं थी। ओ. ए. टी. के समक्ष मामलों को उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना था और बाद वाले की राय राज्य सरकार के निर्णय के लिए प्रासंगिक थी।

सी। राज्य सरकार ने उन कारकों पर विचार नहीं किया जो थे -

इसके निर्णय के लिए अप्रासंगिक या अप्रासंगिक; और

डी। ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय इतना बेतुका नहीं था कि किसी भी उचित व्यक्ति या प्राधिकरण ने इसे कभी नहीं लिया होगा। एक न्यायाधिकरण को समाप्त करने का निर्णय, जिसे उसने प्रासंगिक कारकों के विश्लेषण के आधार पर स्थापित किया था, किसी भी तरह से एक बेतुका या अनुचित निर्णय नहीं है। 83. यह न्यायालय एम. पी. ए. टी. में इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा

आई. टी. ए. एन. मामला (ऊपर)। उस मामले में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एम. पी. ए. टी. को समाप्त करने का आदेश मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला था। इस अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया

नीचे दिए गए शब्दः

" 57 ..... यह अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा 1988 में जारी की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। उस समय, अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय 1985 के अधिनियम के तहत गठित संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन "अंतिम" थे। ..... यदि, एल. चंद्र कुमार [(1997) 3 एस. सी. सी. 261 में कानून के बाद के विकास को देखते हुएः 1997 एससीसी (एल एंड एस) 577: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1125] मध्य प्रदेश राज्य ने महसूस किया कि राज्य प्रशासनिक की निरंतरता

न्यायाधिकरण न्याय के प्रशासन में "एक और स्तर" होगा क्योंकि राज्य प्रशासनिक संगठन प्रशासनिक न्यायाधिकरण बार संगठन द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

न्यायाधिकरण, एक पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और इसलिए, यह महसूस किया कि इस तरह के न्यायाधिकरण को आगे जारी नहीं रखा जाना चाहिए, हमारी राय में, यह नहीं हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि ऐसा निर्णय मनमाना, तर्कहीन या अनुचित है। मध्य प्रदेश राज्य और केंद्र सरकार के बीच पत्राचार के साथ-साथ हलफनामे के जवाब से, यह स्पष्ट है कि एल. चंद्र कुमार [(1997) 3 एस. सी. सी. 261 में इस न्यायालय का निर्णयः 1997 एससीसी (एल एंड एस) 577: ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1125] के आगमन पर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा विचार किया गया था।

विचार, हमारी राय में, प्रासंगिक, सामान्य और वैध था। एम. पी. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय इसी पर आधारित था।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय के रूप में विचार। इन कारणों से, ओ. ए. टी. का उन्मूलन मनमाना या अनुचित नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

84. वेड्सबरी में व्यक्त परीक्षण की हमारी पसंद

निगम (ऊपर) का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई अन्य

अनुच्छेद 14 के तहत कार्यकारी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए मापदंड का उपयोग किया जा सकता है। इस न्यायालय ने पहले कुछ प्रकार की कार्यकारी कार्रवाई की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए आनुपातिकता परीक्षण के उपयोग को मंजूरी दी है, जिसमें ओम कुमार बनाम शामिल है। भारत संघ 3 2 और टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड v. केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ 3 3. आनुपातिकता परीक्षण अन्य मामलों में भी लागू हो सकता है जहां कार्यकारी अतिक्रमण होता है।

आरोप लगाया।

बी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

85. अपीलकर्ताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने प्राकृतिक न्याय प्रदान करने में विफल रहकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन और ओ. ए. टी. के समक्ष वादी एक अवसर के साथ

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

86. ओ. ए. टी. को स्थापित करने, जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा तैयार और लागू की गई नीति की प्रकृति में है।

(प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के साथ कार्य करना)। किसी नीति को तैयार करने और लागू करने से पहले बड़े पैमाने पर जनता को सुनवाई का अधिकार नहीं है। के साथ परामर्श की प्रक्रिया

32 आकाशवाणी (2000) एससी 3689 33 (2004) 2 एससीसी 130 [2023] 6 एस. सी. आर.

जनता, विशेषज्ञों के साथ, और अन्य हितधारकों के साथ वांछनीय हो सकता है और एक सहभागी लोकतंत्र की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, वर्ग के प्रत्येक सदस्य जो एक नीतिगत निर्णय से प्रभावित होंगे, उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता है। यह न केवल समय लेने वाला और महंगा होगा, बल्कि गहराई से अव्यावहारिक भी होगा।

87. बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ 3 4 कॉन

भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश और हस्तांतरण के भारत संघ के निर्णय की वैधता की पुष्टि की। उस मामले में याचिकाकर्ता (कंपनी के कर्मचारियों के संघ) ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि उसे विनिवेश की प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सुनवाई का अधिकार है। इस न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि -

जब भी ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, तो यह वांछनीय है कि किसी भी पर विचार करने सहित परामर्शों की विस्तृत श्रृंखला होनी चाहिए

अभ्यावेदन जो दायर किए गए हों, लेकिन कोई प्रावधान नहीं है

कानून में जिसे लेने से पहले सुनवाई की आवश्यकता होगी नीतिगत निर्णय। कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में, नीतिगत निर्णय

जो प्रभावित हो सकते हैं उन्हें औपचारिक सुनवाई देना अव्यवहारिक है जब भी कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है। देने की वस्तुओं में से एक

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग में सुनवाई देखना है

कि कोई अवैध कार्रवाई या निर्णय नहीं होता है। कोई गलती हो।

आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और यह अनिवार्य रूप से इसके लिए है

कारण कि एक उचित अवसर पहले दिया जाना चाहिए

एक प्रशासनिक आदेश पारित करना। नीतिगत निर्णय के मामले में,

हालाँकि, यह अव्यावहारिक है, और कभी-कभी जनहित के खिलाफ है, ऐसा करने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक नीतिगत निर्णय जो है

कानून के विपरीत चुनौती नहीं दी जा सकती है। ..... यदि निर्णय लिया जाए तो अन्यथा कानून या किसी भी संवैधानिक के विपरीत होने के रूप में अवैध

प्रावधान, श्रमिकों की तरह प्रभावित व्यक्ति, आरोप लगा सकते हैं

समान, लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई नहीं करना एक आधार नहीं हो सकता है

निर्णय को रद्द करने के लिए "।

(जोर दिया गया)

हालांकि बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) में निर्णय।

(उपर्युक्त) को आर्थिक प्रभाव वाले नीतिगत निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, यह वर्तमान मामले में लागू होगा। सिद्धांत

34 (2002) 2 एस. सी. सी. 333 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

उस मामले में उल्लिखित नीतिगत निर्णयों की अन्य श्रेणियों पर भी समान रूप से लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी नीतिगत निर्णय से प्रभावित वर्ग के प्रत्येक सदस्य को सुनना अव्यावहारिक है। 88. किसी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन से पहले सुनवाई के अधिकार की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि प्रभावित पक्ष हैं

कानून की अदालत में नीति को चुनौती देने से वंचित। इसका मतलब यह है कि किसी नीतिगत निर्णय को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि यह जनता के सदस्यों को बड़े पैमाने पर (या कुछ) प्रस्ताव दिए बिना किया गया था।

इसका खंड) सुनने का अवसर। किसी नीति के लिए चुनौती स्थायी हो सकती है यदि यह संवैधानिक अधिकारों को दूषित करने के लिए पाई जाती है या अन्यथा कानून के जनादेश का उल्लंघन करती है।

89. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि इसका उल्लंघन किया गया था।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

vi. केंद्र सरकार इसके बाद कार्यवाहक अधिकारी नहीं बनी

ओएटी की स्थापना

90. पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण) में फंकटस ऑफिसियो शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" एक शब्द जो किसी ऐसी चीज़ पर लागू होता है जिसके पास कभी जीवन और शक्ति थी, लेकिन जो किसी भी गुण का नहीं बन गया है।

प्राधिकृत अधिनियम ताकि प्राधिकरण समाप्त हो जाए " 91. ब्लैक का कानून शब्दकोश (5 वां संस्करण) इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है

निम्नलिखित हैः

“ कार्य पूरा करने के बाद, कार्यालय का निर्वहन किया, या उद्देश्य को पूरा किया, और इसलिए कोई और बल या

प्राधिकरण. एक उपकरण, शक्ति, अभिकरण, आदि जिसने अपने निर्माण के उद्देश्य को पूरा किया है, और इसलिए कोई और गुण या अभिकरण नहीं है।

प्रभाव "। 92. फ़ंक्टस ऑफ़िसिओ का सिद्धांत के सिद्धांत को प्रभाव देता है

अंतिमता। एक बार जब कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण कोई निर्णय दे देता है, तो उसके लिए निर्णय पर पुनर्विचार करने और उसे संशोधित करने, सही करने, स्पष्ट करने या उलटने (कानून द्वारा प्रदत्त समीक्षा की शक्ति के प्रयोग को छोड़कर) का अधिकार नहीं है। एक बार जब कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक

निर्णय अंतिम रूप प्राप्त कर लेता है, तो यह केवल अपीलीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में परिवर्तन के अधीन होता है।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

93. उदाहरण के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 362 में प्रावधान है कि एक बार हस्ताक्षर किए जाने के बाद अदालत अपने फैसले में बदलाव नहीं करेगीः

" 362. न्यायालय निर्णय में परिवर्तन न करे। इस संहिता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी न्यायालय, जब उसने अपने फैसले या किसी मामले को निपटाने के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, तो लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा उसे बदल या समीक्षा नहीं करेगा।

हरि सिंह मान बनाम। हर्भजन सिंह बाजवा 3 5, इस न्यायालय ने मान्यता दी कि धारा 362 कार्य अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थीः

त्रुटि "। 94.

फंकटस ऑफिसियो का सिद्धांत एक स्पष्ट बिंदु प्रदान करने के लिए मौजूद है।

जहाँ न्यायनिर्णायक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और विवाद को शांत किया जाता है। इसके बिना, अदालतों जैसे निर्णय लेने वाले निकाय अंतहीन रूप से अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकते थे। अदालत के समक्ष किसी मामले के लिए एक निश्चित अंतिम बिंदु के साथ या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, पक्ष न्यायिक समीक्षा की मांग करने या अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैकल्पिक रूप से, उनके अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह के विचार राज्य के उन निर्णयों पर लागू नहीं होते हैं जो पूरी तरह से नीति या समीचीनता पर आधारित होते हैं।

95. वर्तमान मामले की ओर मुड़ते हुए, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र सरकार को कार्यात्मक आधिकारिक बना दिया गया था

ओ. ए. टी. जांच के दायरे में नहीं आता है। ओ. ए. टी. की स्थापना का निर्णय प्रशासनिक था और नीतिगत विचारों पर आधारित था। यदि फंकटस ऑफिसियो के सिद्धांत को राज्य द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेने के क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो इसकी कार्यकारी शक्ति पंगु हो जाएगी। राज्य खुद को किसी भी नीति या नीति-आधारित को बदलने या उलटने में असमर्थ पाएगा।

35 (2001) 1 एस. सी. सी. 169 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

निर्णय आ ओकर कार्यप्रणाली ठप्प भऽ जायत। सभी नीतियां अंतिम रूप ले लेंगी और किसी भी परिवर्तन को लागू करना लगभग असंभव होगा।

96. इससे न केवल बड़े नीतिगत निर्णय बल्कि छोटे नीतिगत निर्णय भी प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, एक छोटा नीतिगत निर्णय जैसे कि बस मार्ग अधिसूचित होने के बाद किसी भी संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार निर्धारित होने के बाद, किसी लोकप्रिय गंतव्य पर एक अतिरिक्त पड़ाव की मांग की परवाह किए बिना बस मार्ग समान रहेगा। प्रमुख नीतिगत निर्णय जैसे कि सब्सिडी, निगमित शासन, आवास,

97. वर्तमान मामले में, एस. ए. टी. की स्थापना के बाद भी राज्य और केंद्र सरकार का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। इसी तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य और केंद्र सरकारों ने अपने निर्माण के उद्देश्य को पूरा किया है और एक बार एस. ए. टी. की स्थापना करने के बाद उनका कोई गुण या प्रभाव नहीं है। राज्य अपने नीतिगत निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है।

कानून के अनुसार। इन कारणों से, केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद आधिकारिक रूप से कार्य नहीं दिया गया था।

vii. 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं किए जाने के बावजूद वैध है।

98. अपीलार्थी 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देते हैं कि यह अनुच्छेद 77 के खंड (1) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर जारी नहीं की गई थी।

99. भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 इंगित करता हैः " भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन।

(1) भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी।

(2) राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को इस तरह से प्रमाणित किया जाएगा जो हो सकेः

राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट, और [2023] 6 एस. सी. आर. की वैधता।

कोई आदेश या लिखत जो इस प्रकार प्रमाणित है, उस पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। (3) राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाएगा, और

उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन "

अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 77 से मेल खाता है। इसमें कहा गया हैः

" किसी राज्य सरकार का कार्य संचालन।

(1) राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी।

(2) राज्यपाल के नाम से बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को इस तरह से प्रमाणित किया जाएगा जो हो सकेः

राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट, और इस प्रकार प्रमाणित किसी आदेश या लिखत की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि वह कोई आदेश या लिखत नहीं है।

(3) राज्यपाल अधिक सुविधाजनक के लिए नियम बनाएगा। राज्य सरकार के कार्य का लेन-देन, और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए जहां तक यह कार्य नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेकाधिकार से कार्य करने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 166 का खंड (1) अनुच्छेद 77 के खंड (1) से मेल खाता है। इसके परिणामस्वरूप, के खंड (1) के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय

अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 77 के खंड (1) की व्याख्या करते समय प्रेरक मूल्य का होगा।

100. एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन में। वी. यशस्विनी

खंड 3, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि मूल शक्ति का प्रयोग अमान्य नहीं किया जाता है यदि इसे व्यक्त नहीं किया गया है

राष्ट्रपति के नाम सेः

" 72. हमारी राय में, अनुच्छेद 77 का संदर्भ पूरी तरह से अनुचित है। केंद्र सरकार द्वारा धारा 34 के तहत वैधानिक शक्ति का प्रयोग, भले ही राष्ट्रपति के नाम पर नहीं लिया गया हो, इसे अमान्य नहीं बनाता है। अनुच्छेद 77 का खंड (2) सरकार की एक कार्यकारी कार्रवाई को औपचारिक रूप से रोकता है।

13) 6 एस. सी. सी. 277 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

राष्ट्रपति के नाम पर इस आधार पर चुनौती दी गई कि

यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित कोई आदेश या साधन नहीं है। भले ही केंद्र सरकार की एक कार्यकारी कार्रवाई नहीं है

औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाने की अभिव्यक्ति,

अनुच्छेद 77 में यह प्रावधान नहीं है कि इसलिए इसका अनुवाद किया जाएगा।

शून्य या अमान्य। ..... मेजर ई. जी. बारसे बनाम बम्बई राज्य

(1962) 2 एस. सी. आर. 195, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

" 25 ..... संक्षेप में कहा गया है, कानूनी स्थिति यह हैः अनुच्छेद 166 (1) है -

केवल निर्देशिका। हालांकि एक विवादित आदेश सख्ती से जारी नहीं किया गया था

अनुच्छेद 166 (1) के प्रावधानों का अनुपालन, यह हो सकता है

साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया कि आदेश द्वारा किया गया था उपयुक्त प्राधिकारी। यदि किसी के नाम पर आदेश जारी किया जाता है

राज्यपाल और में निर्धारित तरीके से विधिवत प्रमाणित है

उक्त अनुच्छेद के नियम (2) में एक निर्विवाद धारणा है। कि आदेश या उपकरण द्वारा बनाया या निष्पादित किया जाता है

राज्यपाल। के प्रावधानों का कोई भी गैर-अनुपालन

वास्तव में आदेश द्वारा किया गया है उपयुक्त प्राधिकारी। अनुच्छेद 77 जो आचरण से संबंधित है -

भारत सरकार का व्यवसाय समान रूप से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 166 में उन लोगों के लिए और उन्हीं सिद्धांतों को नियंत्रित करना चाहिए

उस प्रावधान की व्याख्या "।

(जोर दिया गया)

101. समान सिद्धांत अनुच्छेद 166 की व्याख्या को नियंत्रित करते हैं।

और अनुच्छेद 77। एक अधिसूचना जो अनुच्छेद 77 के खंड (1) का अनुपालन नहीं करती है, केवल उसी कारण से अमान्य, असंवैधानिक या गैर-कानूनी नहीं है। बल्कि, यह अकाट्य धारणा कि अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति (केंद्र सरकार के लिए कार्य करने वाले) द्वारा जारी की गई थी, अब नहीं है

केंद्र सरकार के लिए उपलब्ध। अधिसूचना वैध बनी हुई है और यह केंद्र सरकार के लिए यह साबित करने के लिए खुला है कि आदेश वास्तव में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था।

102. वर्तमान मामले में, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना

राष्ट्रपति के नाम पर जारी नहीं किया गया था। हालाँकि, यह अधिसूचना को अमान्य नहीं बनाता है। अनुच्छेद 77 का पालन न करने का प्रभाव यह है कि केंद्र सरकार [2023] 6 एस. सी. आर. के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।

निर्विवाद अनुमान कि 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी। अतः, अपीलार्थियों का तर्क है कि 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना अमान्य है और असंवैधानिक है।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने वाली अधिसूचना को लागू करते हुए उस अधिसूचना द्वारा ओ. ए. टी. की स्थापना। यदि अपीलार्थियों की दलीलें स्वीकार की जाती हैं, तो 4 जुलाई 1986 की अधिसूचना अमान्य होगी। इसलिए हम इस तर्क पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना अमान्य और गैर-अनुमानित है। 104. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 4 जुलाई 1986 की अधिसूचना और 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना दोनों ही राष्ट्रपति (केंद्र सरकार के लिए कार्य करने वाले) द्वारा जारी की गई थीं। अधिसूचनाएं कानून के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं और इस सुझाव का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि एक प्राधिकरण जो अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त नहीं है, ने इसे जारी किया है। इसके विपरीत, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को अधिकार देती है

ओ. ए. टी. स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के लिए और जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, इस तरह जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की परिचर शक्ति भी केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है। दोनों अधिसूचनाओं को जारी करना प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की वैधानिक शक्ति का एक प्रयोग था।

105. अपीलार्थी दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हैं। की स्थिति

बॉम्बे 37 और विशेष रूप से पैराग्राफ 24 के वाक्य पर, जिसमें कहा गया हैः

" 24. ..... जब कार्यकारी निर्णय किसी बाहरी व्यक्ति को प्रभावित करता है या उसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने या सूचित करने की आवश्यकता होती है तो इसे आम तौर पर अनुच्छेद 166 (1) में उल्लिखित रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए यानी राज्यपाल के नाम पर।

106. अपीलार्थी पैराग्राफ 24 में अगले वाक्य पर ध्यान देने में विफल रहे हैं, जिसके द्वारा यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करता है कि अनुच्छेद

166 एक निर्देशिका प्रावधान हैः

" 24. ..... विद्वान महान्यायवादी तब इस याचिका पर वापस आ जाता है कि एक कार्यपालक को बनाने और प्रमाणित करने में चूक

37 (1952) 1 एस. सी. सी. 372 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अनुच्छेद 166 में उल्लिखित रूप में निर्णय स्वयं निर्णय को अवैध नहीं बनाता है, क्योंकि उस अनुच्छेद के प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम में उनके समकक्ष की तरह, केवल निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं। मेरी राय में, विद्वानों का यह तर्क

महान्यायवादी को प्रबल होना चाहिए।

25. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आम तौर पर एक के प्रावधानों को बोलते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्माण करने वाले कानून निर्देशिका हैं और जो निजी अधिकार प्रदान करते हैं वे अनिवार्य हैं। जब किसी कानून के प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित होते हैं और मामला ऐसा होता है कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कृत्यों को अमान्य ठहराना उन व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय का काम करेगा जो

उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिन्हें कर्तव्य सौंपा गया है और उसी समय विधायिका के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अदालतों की प्रथा रही है कि ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशिका माना जाए, उनकी उपेक्षा से किए गए कार्यों की वैधता प्रभावित नहीं होती है।

107. अनुच्छेद 77 एक निर्देशिका प्रावधान है। अनुच्छेद 77 (1) उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय को व्यक्त किया जाना है।

यह अनुच्छेद 77 के खंड (1) में "लिए जाने के लिए व्यक्त" वाक्यांश से स्पष्ट है। निर्णय की प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

खुद को बनाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त किए गए आदेश को अमान्य घोषित करने के परिणामों से जनता या नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए, दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर (ऊपर) पर अपीलार्थियों की निर्भरता गलत है। 108. अपीलार्थी उत्तरांचल राज्य बनाम पर भी भरोसा करना चाहते हैं। सुनील कुमार वैश्य 3 8, जहाँ इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की:

" 23. ..... जब तक कि कोई आदेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से व्यक्त नहीं किया जाता है और उसके द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित नहीं किया जाता है।

नियम, उसी की ओर से एक आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है

सरकार। "

इस मामले में, दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, जो होगा -

सुनील कुमार वैश (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ पर बाध्यकारी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर (ऊपर) का मानना था कि अनुच्छेद 166 के प्रावधान निर्देशिका थे और अनिवार्य नहीं थे। यह होगा

38 (2011) 8 एससीसी 670 [2023] 6 एस. सी. आर.

यह अनुच्छेद 77 के प्रावधानों पर भी लागू होता है। सुनील कुमार वैश (ऊपर) में निर्णय अपीलार्थियों के मामले में कोई सहायता नहीं करता है।

109. अंत में, अपीलकर्ताओं ने गल्फ गोवा होटल कंपनी पर भरोसा किया है।

लिमिटेड वी. उनके मामले का समर्थन करने के लिए भारत संघ 3 9 39। हालाँकि, इस मामले में निर्णय अपीलार्थियों द्वारा आग्रह की गई स्थिति का समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह भी मानता है कि अनुच्छेद 77 (1) का पालन न करने का परिणाम यह है कि यह केंद्र सरकार को उनके द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा से वंचित करता है। अनुच्छेद 77 (2)। यह इस बात पर भी ध्यान देता है कि एक क़ानून के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी कार्रवाई एक अलग आधार पर है।

एक क़ानून से स्वतंत्र रूप से की गई कार्यकारी कार्रवाई:

" 19. संविधान के अनुच्छेद 77 में वह रूप प्रदान किया गया है जिसमें

कार्यपालिका को अपने आदेशों और निर्णयों को बनाना और प्रमाणित करना चाहिए।

अनुच्छेद 77 के खंड (1) में प्रावधान है कि सभी कार्यकारी कार्रवाई

सरकार के नाम पर लेने के लिए व्यक्त किया जाना चाहिए

राष्ट्रपति। संविधान में प्रसिद्ध लेखक एच. एम. सीरवई

भारत का कानून, चौथा संस्करण। , खण्ड. 2 , 1999 परिणामों का वर्णन करें सरकारी आदेशों या निर्देशों का नहीं होना

अनुच्छेद 77 के खंड (1) या (2) के अनुसार कि वही प्रतिरक्षा के आदेशों को वंचित कर देगा

उपरोक्त खंडों द्वारा प्रदत्त और वे इसके लिए खुले हो सकते हैं - इस आधार पर चुनौती दें कि उन्हें नहीं बनाया गया है

या राष्ट्रपति के अधिकार के तहत जिस मामले में

किसी भी तरह से छुट्टी दे दी गई। निर्णय में एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन। वी. यशस्विनी मर्चेंट

[(2003) 6 एस. सी. सी. 277, पी. 311 , पैरा 72: 2003 एससीसी (एल एंड एस) 840]

, शायद, कुछ अलग दृष्टिकोण रखना हो सकता है इस तथ्य से समझाया गया कि उक्त मामले में आक्षेपित

सरकारी पत्र में निहित निर्देश (नहीं

राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त) के अभ्यास में था

वायु निगमों की धारा 34 के तहत वैधानिक शक्ति अधिनियम, 1953। वर्तमान मामले में, विवादित दिशानिर्देश

किसी भी मौजूदा क़ानून के तहत जारी नहीं किए गए हैं।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना थी

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया।

39 (2014) 10 एस. सी. सी. 673 ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

110. इस खंड में चर्चा किए गए कारणों के लिए, 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्त नहीं किए जाने के बावजूद मान्य है।

viii. ओ. ए. टी. का उन्मूलन न्याय तक पहुँच के मानसिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

111. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि ओ. ए. टी. के उन्मूलन ने अदालत प्रणाली को वादियों के लिए कम सुलभ बना दिया है और इसलिए यह न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने अनीता कुशवाहा बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। पुष्प सुदानाव, जहाँ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पहुंच के घटकों पर चर्चा की

न्यायः

" 33. चार मुख्य पहलू जो हमारी राय में सार का गठन करते हैं।

न्याय तक पहुँच इस प्रकार हैः
(i) राज्य को एक प्रभावी न्यायनिर्णायक तंत्र प्रदान करना चाहिए।

((ii) इस प्रकार प्रदान किया गया तंत्र यथोचित रूप से सुलभ होना चाहिए।

दूरी की शर्तें;
((ग) न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया त्वरित होनी चाहिए; और

((iv) न्यायनिर्णायक प्रक्रिया तक वादी की पहुंच किफायती होनी चाहिए।

अपीलार्थियों का तर्क है कि ओ. ए. टी. का उन्मूलन न्याय तक पहुँच के अधिकार के दूसरे और चौथे पहलुओं का उल्लंघन करता है। वे.

ओ. ए. टी. का तर्क है कि ओ. ए. टी. में दो नियमित पीठ और दो सर्किट बेंच हैं लेकिन ओडिशा उच्च न्यायालय की एक सीट कटक में है, जिससे न्यायनिर्णायक तंत्र दूरी के मामले में कम सुलभ हो जाता है। वे आग्रह करते हैं कि दूरी भी न्यायनिर्णायक प्रक्रिया को कम किफायती बनाती है क्योंकि कटक के विभिन्न हिस्सों से यात्रा करने की लागत कम होती है।

राज्य।

112. न्याय तक पहुँच का मौलिक अधिकार निस्संदेह भारत के संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य अधिकार है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है।

इस अर्थ में व्याख्या की जाए कि प्रत्येक गाँव, कस्बे या शहर में क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए निर्णय के प्रत्येक मंच को होना चाहिए। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कुछ अदालतें और मंच कुछ कस्बों और शहरों में स्थित होंगे न कि अन्य में। कुछ या अन्य वादियों को किसी विशेष मंच या अदालत तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करनी होगी। 40 (2016) 8 एससीसी 509 [2023] 6 एस. सी. आर.

113. अनीता कुशवाहा (ऊपर) में निर्णय को दोहराने के लिए, न्यायिक तंत्र को दूरी के मामले में यथोचित रूप से सुलभ होना चाहिए। उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने ओडिशा के अन्य हिस्सों से कटक तक की यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का रचनात्मक रूप से उपयोग किया है। वास्तव में, अन्य उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को दोहराना चाहिए कि व्यापक रूप से फैले क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच प्रदान की जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को उनके लिए चिंता के मामलों में उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही का निरीक्षण करके और उसमें भाग लेकर न्याय तक सही पहुंच हो। ओडिशा राज्य की ओर से की गई इस दलील को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति योजनाओं का उपयोग वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, द्वारा प्रायोजित कानूनी सहायता कार्यक्रम राज्य किसी भी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में भी उपयोगी हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने अनीता कुशवाहा (ऊपर) में कहा हैः

" 40. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राज्य प्रायोजित कानूनी सहायता कार्यक्रमों द्वारा न्याय तक पहुंच की किफायती क्षमता का कुछ हद तक ध्यान रखा गया है। कानूनी सहायता कार्यक्रम हैं गरीब वर्गों को
बहुत आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है

अदालतों में न्याय प्राप्त करने में समाज "।

114. उल्लेखनीय है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पीठों की स्थापना की है जो राज्य भर के कई शहरों और कस्बों में वस्तुतः काम करेंगी। यह अपीलार्थियों के इस तर्क को नकारता है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ओ. ए. टी. की तुलना में कम सुलभ है। वास्तव में, उच्च न्यायालय की आभासी पीठों की संख्या ओ. ए. टी. की पीठों की संख्या से अधिक है। राज्य भर के वादी ओ. ए. टी. तक पहुँचने की तुलना में अधिक आसानी से उच्च न्यायालय तक पहुँच सकते हैं।

115. इसलिए वादी विवादों के समाधान के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। ओ. ए. टी. का उन्मूलन वादियों को बिना किसी उपाय के या विचाराधीन विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक मंच के बिना नहीं छोड़ता है। इसलिए यह न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

ix. राज्य सरकार ने अपना लाभ नहीं उठाया

116. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. में रिक्तियों को भरने में विफल रहने और ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए परिस्थितियां पैदा करके अपनी गलती का लाभ उठाने की कोशिश की। 117. इस निर्णय के पैराग्राफ 85 में, सामान्य प्रशासन विभाग, ओडिशा सरकार ओरिसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v.

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

दिनांक 16 सितंबर 2015 निकाला गया है। नोट में केंद्र सरकार से ओ. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध करने के लिए राज्य सरकार के कारणों का विवरण दिया गया है। पैराग्राफ 85 का उद्धरण वर्ष 2014 के लिए ओ. ए. टी. के समक्ष मामलों के संस्थान, निपटान और लंबित होने के आंकड़ों को दर्शाता है। जिस समय यह नोट तैयार किया गया था, उस समय राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. में नियुक्तियां करना बंद नहीं किया था। उस समय, ओ. ए. टी. सामान्य रूप से काम कर रहा था। राज्य सरकार ने ओ. ए. टी. पाया

सामान्य प्रदर्शन (यानी मामलों के निपटारे की दर) असंतोषजनक होना। ओ. ए. टी. के कामकाज के इस पहलू ने राज्य में एक भूमिका निभाई है।

ओ. ए. टी. को समाप्त करने का सरकार का निर्णय।

118. जैसा कि विवादित फैसले में देखा गया हैः

" 48 ..... ओडिशा सरकार के समाप्त करने के निर्णय के बाद

ओ. ए. टी. सार्वजनिक हो गया, इसे भरने के लिए नियुक्तियाँ करना बंद कर दिया गया ओ. ए. टी. में रिक्तियां। इसने ओ. ए. टी. बार एसोसिएशन का नेतृत्व किया,

कटक फाइलिंग डब्ल्यू. पी. (ग) इस न्यायालय में 2017 की सं. 15693

रिक्तियों को भरने के लिए ओडिशा सरकार को आदेश ओ. ए. टी. में।

(जोर दिया गया)

इसलिए, राज्य सरकार ने नियुक्तियों को बंद कर दिया

ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने निर्णय के परिणामस्वरूप ओ. ए. टी. और इसके विपरीत नहीं। अपीलार्थियों का कथन उन घटनाओं के अनुक्रम को भ्रमित करता है जिन पर उनका तर्क आधारित है। राज्य सरकार ने अपना निर्णय वर्ष 2014 में ओ. ए. टी. के कामकाज के मूल्यांकन पर आधारित किया, जो ओ. ए. टी. को समाप्त करने के अपने निर्णय से पहले था। इसलिए, ऐसा कोई "गलत" नहीं है जिसका राज्य सरकार ने फायदा उठाया हो। इसी तरह, हम अपीलार्थियों के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि भारत संघ ने व्यवस्थित रूप से ओ. ए. टी. को गैर-कार्यात्मक बना दिया था।

119. अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक संबंधित तर्क यह है कि

ओ. ए. टी. में रिक्तियों को भरने में राज्य सरकार की विफलता संविधान के अनुच्छेद 256 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 256 अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन। हमारे लिए इस तर्क को संबोधित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप विवादित निर्णय अनुच्छेद 256 के उल्लंघन के बारे में निर्णय की मांग नहीं करता है। उड़ीसा से पहले का लिस

उच्च न्यायालय ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय की वैधता तक सीमित था। इसलिए हम उसी मुद्दे पर अपील पर अपने फैसले को सीमित करते हैं।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

x. ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने में केंद्र सरकार की विफलता ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके फैसले को दूषित नहीं करती है।

120. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र सरकार को संविधान पीठ के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए था रोजर मैथ्यू बनाम में इस न्यायालय का (जिसमें हममें से एक, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. एक हिस्सा थे)। साउथ इंडियन बैंक Ltd.4[1] को समाप्त करने से पहले

ओएटी। इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले ने यह तर्क भी दिया है कि

केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले इस न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए थी।

121. रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने केंद्र सरकार को कुछ न्यायाधिकरणों का न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश दिया

नलस। न्यायिक प्रभाव आकलन के संबंध में इस निर्णय (सीजेआई रंजन गोगोई की बहुमत राय से) का परिचालन भाग नीचे दिया गया हैः

" 223.7 . वित्त अधिनियम, 2017 के लिए संदर्भित सभी न्यायाधिकरणों का "न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन" करने की आवश्यकता आधारित आवश्यकता है ताकि वित्त अधिनियम, 2017 के तहत प्रदान किए गए न्यायाधिकरणों के ढांचे में परिवर्तनों के प्रभावों का विश्लेषण किया जा सके। इस प्रकार, हम इस तरह के "न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन" को पूरा करने और सक्षम विधायी प्राधिकरण के समक्ष निष्कर्षों के परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय को अनिवार्य रिट जारी करना उचित पाते हैं। "

122. न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश,

इसलिए, यह एक सामान्य प्रकृति का था। यह ओ. ए. टी. जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के प्रस्तावों के लिए तैयार नहीं था। बल्कि, वित्त द्वारा न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन के परिणामों का विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस की गई।

इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय को अधिनियम 2017 और एक आदेश पत्र जारी किया गया था। न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन को रिक्तियों को भरने के अलावा मामले के भार, प्रभावकारिता, वित्तीय प्रभाव और बड़े पैमाने पर न्यायाधिकरणों की पहुंच को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी निर्देशित किया गया था। 42 हम ध्यान देते हैं कि न तो सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा लिखित बहुमत की राय और न ही डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इस आशय का निर्देश दिया है कि न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन के अभाव में एक न्यायाधिकरण को समाप्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में

मामले में, केंद्र सरकार ने 2 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी की

41 (2020) 6 एससीसी 1 42 पैराग्राफ 185,222,223.7,234,387-390 देखें।

ORISSA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन v. यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों के वैध प्रयोग में। न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने में विफलता ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को दूषित नहीं करती है। रोजर मैथ्यू के फैसले में कुछ भी नहीं

(उपर्युक्त) यह भी इंगित करता है कि केंद्र सरकार को ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

123. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से, कानून और न्याय मंत्रालय

13 नवंबर 2019 को वितरित किया गया था। तीन साल से अधिक समय बीत चुका है और कानून और न्याय मंत्रालय ने अभी तक न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया है। 124. जिस तरह का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है, वह केवल न्याय प्रदान करने में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालेगा। मूल्यांकन की कमी देश में (समग्र रूप से) न्यायाधिकरणों के संबंध में किसी भी अच्छी तरह से सूचित, बुद्धिमान कार्रवाई को रोकती है। इसके बदले में, नागरिकों के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीनरी से वंचित है जिसके द्वारा वह न्याय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम रोजर मैथ्यू (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्देशों को दोहराते हैं और कानून और न्याय मंत्रालय को जल्द से जल्द न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश देते हैं।

xi. विविध विवाद

125. एक विविध विवाद पर विचार किया जाना बाकी है।

126. अपीलकर्ताओं ने कहा है कि ओ. ए. टी. को समाप्त करने का तथाकथित वास्तविक कारण यह है कि कई शीर्ष अधिकारियों को इसका सामना करना पड़ा

ओ. ए. टी. के समक्ष अवमानना के आरोप, इस कारण से कि वे इसके आदेशों को लागू करने में विफल रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इन अधिकारियों ने ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रभावित किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि

राज्य और केंद्र सरकारों ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामों में इस आरोप से इनकार नहीं किया और कहा कि यह आरोप 'गैर-पारगमन' के कारण सच है। 127. अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थियों के आरोपों की सच्चाई का संकेत देता हो या यहां तक कि इस तरह के आरोपों की सच्चाई की संभावना की ओर इशारा करता हो।

एक आरोप। यह पूरी तरह से अप्रमाणित है और ओ. ए. टी. के उन्मूलन के लिए अपनी चुनौती को बनाए रखने का एक अंतिम प्रयास प्रतीत होता है। किसी भी मामले में, कथन तर्क को झुठलाता है। ओ. ए. टी. के समक्ष लंबित सभी मामलों को बिना किसी अपवाद के उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह अवमानना याचिकाओं को जोड़ता है। इसलिए, ओ. ए. टी. के उन्मूलन के परिणामस्वरूप अधिकारियों या अन्य लोगों के लिए अवमानना कार्यवाही से बचना संभव नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्कर्ष और निष्कर्ष

. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि

निम्नलिखित कारणों से संवैधानिक रूप से वैध हैः

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित रिट याचिकाएं विचारणीय थीं क्योंकि अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए वे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के हकदार थे संविधान का अनुच्छेद 226;

अनुच्छेद 323-ए केंद्र सरकार को एस. ए. टी. को समाप्त करने से नहीं रोकता है क्योंकि यह एक सक्षम प्रावधान है जो केंद्र सरकार को अपने विवेक पर एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध)। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की शक्ति का कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ, इस शक्ति का उद्देश्य और विधायिका का इरादा यह स्थापित करता है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने का कोई कर्तव्य नहीं है, जैसे कि सक्षम समर्थक दृष्टि एक अनिवार्य प्रावधान बन जाता है। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का वैध प्रयोग किया

जब इसने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 को ओ. ए. टी. की स्थापना की अधिसूचना को फिर से लागू करने के लिए लागू किया क्योंकि ओ. ए. टी. की स्थापना का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय था न कि एक अर्ध-न्यायिक निर्णय। इसके अलावा, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 विषय-वस्तु के प्रतिकूल नहीं है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का संदर्भ और प्रभाव

अपनी योजना और उद्देश्य के अनुरूप; 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना, जिसके द्वारा ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।

राज्य सरकार ने किसी भी बात को अप्रासंगिक नहीं माना या

केंद्र सरकार से ओ. ए. टी. को समाप्त करने का अनुरोध करने के निर्णय पर पहुँचते समय बाहरी कारक। ओ. ए. टी. को समाप्त करने का निर्णय अपने आप में बेतुका या इतना अनुचित नहीं है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इसे नहीं लिया होगा।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि ओ. ए. टी. को समाप्त करने के निर्णय से प्रभावित लोगों के वर्ग को सुनवाई का अधिकार नहीं था।

जनता एक प्रशासनिक ट्राइब्यूनल बार एसोसिएशन v. भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

बड़े पैमाने पर (या इसके कुछ वर्गों) को होने का अधिकार नहीं था

नीतिगत निर्णय लेने से पहले सुना गया;

ओ. ए. टी. की स्थापना के बाद केंद्र सरकार आधिकारिक नहीं बनी क्योंकि इस सिद्धांत को आम तौर पर उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां सरकार नीति बना रही है और उसे लागू कर रही है।

2 अगस्त 2019 की अधिसूचना वैध है, हालांकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त नहीं की गई है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 77 का पालन नहीं किया जाता है। किसी अधिसूचना को अमान्य कर दें या उसे असंवैधानिक बना दें।

ओ. ए. टी. का उन्मूलन न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करेगा जो ओ. ए. टी. के समक्ष इसके उन्मूलन से पहले लंबित थे।

इसे समाप्त करने का निर्णय लेने के बाद ही। यह ओ. ए. टी. को समाप्त करने के लिए अपनी निष्क्रियता से उत्पन्न रिक्तता (और इसके परिणामस्वरूप लंबितता में वृद्धि) पर निर्भर नहीं था; और न्यायपालिका के संचालन में केंद्र सरकार की विफलता

ओ. ए. टी. को समाप्त करने से पहले प्रभाव मूल्यांकन ने ओ. ए. टी. को समाप्त करने के उसके निर्णय को प्रभावित नहीं किया क्योंकि रोजर मैथ्यू (ऊपर) में दिए गए निर्देश सामान्य प्रकृति के थे और न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन के अभाव में ओ. ए. टी. जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरणों के उन्मूलन को प्रतिबंधित नहीं करते थे। कानून और न्याय मंत्रालय को रोजेर में इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है

मैथ्यू (ऊपर)।

. 2 अगस्त 2019 की विवादित संख्या की संवैधानिक वैधता को चुनौती, जिसके द्वारा ओ. ए. टी. को समाप्त कर दिया गया था, उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि ऊपर दर्ज किए गए संकेतों के संदर्भ में की जाएगी। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

: तमन्ना, एलसीआरए)